विषय सूची

सत्र-1 (भाग 4) बुधवार, 24 जून, 2015/आषाढ़ 03, 1937 (शक) अंक-08

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची.....	1-2
1.	नियम 114 के अन्तर्गत प्रस्ताव.....	3-9
2.	अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	9-15
3.	समिति के प्रतिवेदनों पर सहमति.....	15-16
4.	प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण.....	17-18
5.	अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष उल्लेख के बारे में व्यवस्था.....	18
6.	नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख.....	18-34
7.	अल्पकालिक चर्चा.....	34-82
	(1) दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण से संबंधित मुद्दे से उत्पन्न स्थिति पर;	
	(2) शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में नौवीं कक्षा के परिणामों के गिरे हुए स्तर से उत्पन्न स्थिति पर, और	
	(3) नगर निगम द्वारा कन्वर्जन चार्ज लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर	
8.	विधेयकों का पारण.....	82-90

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-1 (भाग 4) बुधवार, 24 जून, 2015/आषाढ़ 03, 1937 (शक) अंक-08

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे आरम्भ हुआ।
माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री मोहेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह
9. ऋतुराज गोविन्द
10. श्री रघुविन्दर शौकीन
11. सुश्री राखी बिड़ला
12. श्री विजेन्द्र गुप्ता
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोम दत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री इमरान हुसैन
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल

21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जगदीप सिंह
23. श्री जरनैल सिंह (ति. न)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री नरेश बाल्यान
27. श्री आदर्श शास्त्री
28. श्री गुलाब सिंह
29. श्री कैलाश गहलोत
30. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
31. सुश्री भावना गौड़
32. श्री विजेन्द्र गर्ग
33. श्री प्रवीन कुमार
34. श्री मदन लाल
35. श्री सोमनाथ भारती
36. श्री नरेश यादव
37. श्री करतार सिंह तंवर
38. श्री प्रकाश
39. श्री अजय दत्त
40. श्री दिनेश मोहनिया
41. श्री सौरभ भारद्वाज
42. सरदार अवतार सिंह कालका जी
43. श्री सही राम
44. श्री नारायण दत्त शर्मा
45. श्री अमानतुल्ला खान
46. श्री राजू धिंगान
47. श्री मनोज कुमार
48. श्री नितिन त्यागी
49. श्री ओम प्रकाश शर्मा
50. श्री एस.के. बग्गा
51. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
52. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
53. सुश्री सरिता सिंह
54. श्री हाजी इशराक
55. श्री श्रीदत्त शर्मा
56. चौ. फतेह सिंह
57. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-1 (भाग 4) बुधवार, 24 जून, 2015/आषाढ़ 03, 1937 (शक) अंक-08

सदन अपराह्न 2.05 बजे समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

नियम 114 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबका स्वागत करता हूं। श्री जगदीश प्रधान जी निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अल्का लाम्बा जी।

सुश्री अल्का लाम्बा : अध्यक्ष महोदय मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री जैन साहब जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। रात को कम से कम साढ़े बारह बजे मुझे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का फोन आता है; कितनी गम्भीरता से उन्होंने इस हड़ताल को लिया। एक तरफ हड़ताल का असर मरीजों पर हो रहा था डॉक्टरों की सुरक्षा का प्रश्न था, तो दूसरी तरफ मरीजों की जिन्दगी का प्रश्न था मैं इस सरकार का धन्यवाद करती हूं कि कितनी गम्भीरता से लिया कि मुख्यमंत्री ने Tweet तक से जानकारी हमें दी क्योंकि हम सब गुमराह हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा शनिवार को डॉक्टरों को बुलाया अपनी बात रखने के लिये। हमने रविवार को भी बुलाया जिस दिन छुट्टी होती है और मुख्यमंत्री सरकारी काम नहीं करते ट्वीट से जाहिर हुआ कि Sunday को भी मुख्यमंत्री खुद आमंत्रित कर रहे थे कि डाक्टर आयें और अपनी मांगों को रखें और उसके

बाद सोमवार को मैं खुद सचिवालय में थी। तीन बजे तक मुख्यमंत्री तक सब काम छोड़कर सिर्फ इसलिए बैठे रहे कि डॉक्टर्स आयेंगे, बातचीत करेंगे और उनकी मांगें हमें गम्भीरता से लेनी हैं।

अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करती हूं कि मैं विधायक के तौर पर अरूणा आसफ अली अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की अध्यक्ष भी हूं। मैं जिक्र करूंगी कि अरूणा आसफ अली अस्पताल के जूनियर रेजीडेन्ट्स डॉक्टर्स ने हड़ताल नहीं की। मैं उनका भी धन्यवाद और तारीफ करती हूं। वो लगातार Strike की घोषणा के बाद भी अपने काम को करते रहे और कोई Strike हमारे दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों में नहीं हुई और मैं फिर कहूंगी 19 मांगें थी, एक कदम आगे बढ़के 24 मांगें जिसका जिक्र खुद Health Minister ने कहा कि ये 4 मांगें।

अध्यक्ष महोदय : कल्का जी शार्ट करिये शार्ट प्लीज।

सुश्री अल्का लाम्बा : मैं तो यह कहूंगी कि जो दिल्ली सरकार ने गम्भीरता को देखते हुए खुद पहला कदम उठाकर डॉक्टरों की सारी मांगें मानी और सख्ती भी अगर दिखाने की जरूरत थी और एक संदेश देने की भी वो भी दिखाया मैं वही उम्मीद करती हूं कि जो केन्द्र के अस्पताल हैं, जो नगर निगम के अस्पताल हैं, वहां की भी Strike रुकनी चाहिये ताकि वहां पर भी जो गरीब अपनी दवाई और इलाज के लिये जा रहा है, उसे राहत मिले। यही उम्मीद मैं कर रही हूं और तारीफ करती हूं जिस प्रकार का कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है, वो इसकी मुबारकबाद की पात्र है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैं दे रहा हूं, अभी समय दे रहा हूं। हां किसको अल्का जी को?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उसी पर बोल दूं। जो आपने Announce किया है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर चर्चा थोड़ी करेंगे हम।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उन्होंने एक विषय रखा है तो हम भी अपनी बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा तो नहीं होती है। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी ऐसा नहीं होता है। बिना नोटिस के **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : एक सैकिण्ड एक सैकिण्ड। ऋषि जी मैं विजेन्द्र जी को सन्तुष्ट कर दूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जो आपने Allow किया है उसी पर अपनी बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकिण्ड एक सैकिण्ड अल्का जी प्लीज। आप तो पहले कह रहे थे कैसे इजाजत दी। अब मैंने नियम को देखने के बाद... **(व्यवधान)...**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हां जी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम था। मैंने नियम देखा है। 'Motion without Notice' heading यही है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हां जी। Motion है तो Motion पर बात करनी पड़ेगी। खाली Point out करने वाली बात होती तो हम न बोलते। Point of

order होता तो उस पर आप अपनी Ruling दे सकते थे। हमें इतना कहना है।

अध्यक्ष महोदय : चलिये आप बोलिये। एक सैकिण्ड विजेन्द्र जी। बोलिये आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, एक तो यह विरोधाभासी विषय है। आपने कहा कि मंत्री जी को बधाई हो। Congratulations.

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं कहा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपसे तात्पर्य है हमारे सम्मानित सदस्य दूसरी तरफ आप एस्मा लगा देते हैं। यानि कि अगर इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण था कि Strike को दो दिन में खत्म किया जा सकता था तो फिर एस्मा लगा कर 15000 वो Residents Doctors जो इस शहर के Respectable नागरिक हैं और एक ऐसा मानवीय काम कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य कर रहे, जो लोगों की जिन्दगी को बचाने का काम कर रहे हैं और तीसरा, उनकी समस्याएं बहुत Genuine थीं और पहले भी आश्वासन दिये गये थे, लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता। उनको काम करने का माहौल चाहिये था। कोई ऐसी गैर वाजिब डिमाण्ड मुझे नहीं लगता थी जिसके लिये वो लोग Strike पर गये थे। लेकिन आपने पहले एस्मा लगाई और फिर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं बार बार एस्मा लगा कर आप दिल्ली के अन्दर उस वर्ग को जिस वर्ग से बहुत अच्छी तरह से बातचीत करके चीजों को हल किया जा सकता है क्योंकि वो भी अपने आप को Responsible Citizen!

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी कल भी विषय रह गया था। शार्ट कर दीजिये प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इतना हमारा कहना है कि इतनी जल्दबाजी न करें एस्मा लगाने में। पहले सामने वाले की समस्या को समझें, अगर उसका समाधान है और हो सकता है तो उसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय : हां ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष महोदय मैं अपनी सरकार को, अपने चीफ मिनिस्टर साहब को, उप मुख्यमंत्री जी को और हमारे परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने महिला सुरक्षा पर जो वायदा किया था, वह कल पूरा किया। एक हजार बसों में गार्डस लगाये, इसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इसी तरह से आगे वह अपने कामों को करें, इसके लिये मैं शुभकामनायें देना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : चलो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक सैकिण्ड ओम प्रकाश जी। मैं दे रहा हूं रुक जाइये। आपने विषय समझा उनका एक हजार। आप किस नियम में बोलना चाहते हैं। नियम 114 क्या।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं नियम 114 के बारे में बोलना चाहता हूं। कल सदन में तीन बिल सदन के सदस्यों को बिना उपलब्ध कराये, पेश किये गये और हिन्दी की कापी भी नहीं मिली एक बात। संसदीय सचिवों के क्या अधिकार व कर्तव्य होंगे, बिना जाने कैसे पास करेंगे

अध्यक्ष महोदय : आज बिलों पर चर्चा होगी, उस वक्त बोलियेगा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : तो हमें कुछ दें तो सही आप।

अध्यक्ष महोदय शर्मा : आप अपने नाम दीजिये। जब बिलों पर चर्चा आयेगी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मेरा कहना ये है कि मेरा निवेदन है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी मेरी बात सुन लीजिये। मेरी प्रार्थना सुन लीजिये कि बिल कल प्रस्तुत हुए हैं, आज उन पर चर्चा होगी। आप नाम दीजिये न...**(व्यवधान)**

श्री आम प्रकाश शर्मा : हिन्दी की कापी नहीं दी आपने। पहली बात।

अध्यक्ष महोदय : हां, हिन्दी की कापी आपको उपलब्ध करवाते हैं और बोलिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : दूसरी बात यह है संसदीय सचिवों के क्या अधिकार व कर्तव्य होंगे...**(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : कापी दीजिये न। हम तैयारी करें उस पर बोलने के लिये।

अध्यक्ष महोदय : वो दिलवा देते हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप सदन को xxxx की तरह न चलायें। जो सिस्टम है, कागज दें।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : इसमें गलत क्या है?

अध्यक्ष महोदय : xxxx की तरह न चलायें। यह xxxx दिखाई दे रही है आपको?

(xxx चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : इसमें गलत क्या है जी? बिल्कुल इसी प्रकार से है।

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द निकालियेगा बाहर। विजेन्द्र जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं आप अपनी भाषा पर संयम रखें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : इसमें भाषा में क्या गड़बड़ है।

अध्यक्ष महोदय : यह आप बोल रहे हैं xxxx की तरह न चलायें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : हां बिल्कुल बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगर आपसे कहने लगूं, उचित नहीं होगा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : Parliamantry है क्या...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक, आप रहने दीजिये बस।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मेरा कहना इतना है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप रहने दीजिये आप अपनी आदत से मजबूर हैं। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है। आप अपनी आदत से मजबूर नहीं हैं क्या?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : ओम प्रकाश जी आप फिर गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। आप भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं ये बात

...(व्यवधान)

(xxx चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।)

अध्यक्ष महोदय : आप भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये xxx की तरह से ना चलायें। विजेन्द्र जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं जब उस पर चर्चा आयेगी तब उस पर बात करेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हिंदी की कापी आप क्यों नहीं दे रहे जी

अध्यक्ष महोदय : तो आपने कह दिया ना, मैंने स्वीकार किया है

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सुन क्या लिया इसमें नाराज होने की क्या बात है। इस तरीके से आप मत चलाये सदन को। आपसे जायज मांग कर रहे हैं। इसके लिये आप नाराज क्यों हो रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : भाई साहब, मैंने स्वीकार कर लिया, ओमप्रकाश जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप जवाब सही दीजिये। इस तरह से आप चला रहे हैं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हिंदी की प्रति आपको उपलब्ध नहीं है, हो जायेगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : तो कराइये ना।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह तो रहा हूं, हो जायेगी अभी। हिंदी की कापी उपलब्ध नहीं है तो हो जायेगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप समय पर ना तो एजेंडा दे रहे हैं, ना सब चीजों को समय पर व्यवस्थित कर रहे हैं। इसीलिये मैं आपसे कह रहा हूं, आप xxx की तरह विधानसभा ना चलायें।

(xxx चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।)

अध्यक्ष महोदय : चलिये आपने बोल दिया ना जी, ठीक है। और कुछ, चलिये। मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता जी से नियम 54 के अंतर्गत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। वैसे तो विजेन्द्र जी से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र में नियम 280 के अंतर्गत आप इस विषय को उल्लेख कर चुके हैं। मामला सदन में आ चुका है और सदन में इसी कड़ी में एक विषय आ चुका है तो दोबारा नहीं लाया जाता है। फिर भी मैं पांच मिनट आप अपना विषय रखिये। लेकिन पांच मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, ये विषय जो ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैंने रखा है। ये प्वाइंट ऑफ आर्डर का विषय नहीं है। क्योंकि वो दिल्ली फाइनेंस कमीशन रिक्मंडेशनस जो अप्रैल, 2013 में दिल्ली सरकार को सौंप दी गई थी और आर्टिकल 243 ऑफ द कान्सीट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये मेनडेटरी है, उन सिफारिशों को दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखना सरकार की जिम्मेदारी है और उस पर चर्चा करने के बाद उन सिफारिशों को मूर्त रूप देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये 73वें और 74वें संशोधन के तहत भारत के संविधान में दिल्ली की और देश की तमाम नगर निगमों और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का एक ऐसा हथियार और औजार है जो कि वित्तीय संकट के कारण प्राय: देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था मृतप्राय: थी और संविधान विशेषज्ञों ने बड़े विचार विमर्श के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करना। इस दृष्टिकोण से ये 73वां और 74वां संशोधन प्रस्तुत किया था और उसको संविधान का हिस्सा बनाया था उसके बाद लगातार एक के बाद एक हर पांच साल बाद वित्त आयोग गठित होता है, एक सैंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है अभी सैंट्रल फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी,

सिफारिशें की कि प्रदेशों को 32 से 42 प्रतिशत का हिस्सेदारी दी जाये और उसको केन्द्र सरकार ने मान लिया, जैसे का तैसा, वैसे का वैसा और लागू कर दिया लेकिन आज इस सदन के समक्ष एक संवैधानिक संकट है। संविधान की अवहेलना हो रही है और वे सिफारिशें नगर निगम की हिस्सेदारी जो assigned taxes दिल्ली नगर निगमों की जो एक अप्रैल, 2012 से लागू होनी है retro-spective effect से और जिसके कारण आज दिल्ली की नगर निगम वित्तीय रूप से पंगु बनी हुई है। हमारा यह कहना है कि चौथी बार ये सैशन बैठा है पिछले चार महीनों में, और हम लगातार हर सदन में इस बात को कहते रहे हैं कि चौथे दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफरिशों को प्रस्तुत करो और लागू करो लेकिन क्या कारण है, सरकार उनको टेबल पर नहीं लाना चाहती। क्या कारण है उस पर बातचीत नहीं करना चाहती। क्यों नगर निगमों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और इस तरह का वित्तीय संकट

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी शार्ट कीजिये प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमारा सीधा सा स्पष्ट रूप से यह कहना है कि वे रिपोर्ट अभी तुरंत सदन के पटल पर लाई जाये और या फिर उप मुख्य मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, वे सदन को ये आश्वस्त करें कि आज दो घंटे बाद या एक घंटे बाद, तीन घंटे बाद या दिनों से बात नहीं बनेगी क्योंकि मिनटों और घंटों का मामला है ये। इसलिये ये बतायें कितने समय में, कितने घंटे बाद, एक घंटे बाद, या दो घंटे बाद या आधे घंटे बाद या दस मिनट के बाद या अभी चल पड़ी है या पहुंच रही है। इस तरह की बात बतायें तो हम समझेंगे कि सरकार सही मायनों में दिल्ली की जनता के साथ न्याय कर रही है और वह चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें यहां प्रस्तुत की जाये और उनको लागू किया जाये। आज नगर निगम के...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, हो गया विषय रख लिया आपने रिपिटेशन ना कीजिये प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप इस पर मैं चाहूंगा रिप्लाई करें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : विषय समाप्त नहीं हुआ अध्यक्ष जी शुरू हुआ है **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं बात करूंगा उनसे। आपने रखा है विषय। कोई तुरंत उत्तर**...(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : कोई बात नहीं है अध्यक्ष जी ये तो फैसला **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक बात मेरी सुन लीजिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं बिल्कुल साफ रूप से कहूंगा**...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेण्ड मेरी बात सुन लीजिये, नियम 54 को मैंने पढ़ा है, आवश्यक नहीं, मंत्री जी उस पर जवाब दें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये जवाब का विषय ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विषय क्यों नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये तो मामला रिपोर्ट का है।

अध्यक्ष महोदय : हां, रिपोर्ट का है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हम ये भी कह सकते थे कि अभी करो और नहीं तो

हमारी तरफ से ये विरोध है...**(व्यवधान)** हम तो कह रहे हैं मंत्री जी पहले बोलें।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप बतायें आप की मंशा क्या है? आपके मन में क्या है? अब ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात रख ली ना। विजेन्द्र जी...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मंत्री जी मुस्कुराहट बहुत ही कातिलाना है इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्सर हम देखते है इनको मुस्कुराते हुये हंसते हुये, परसो फोटो भी हमने बड़े अच्छे अच्छे देखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये मुस्कुराहट आगे बढ़े। बात हो गई विजेन्द्र जी प्लीज, मैं बात कर लूंगा। नहीं, ये बात ठीक नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं आपको point of order भी कह सकता हूं। ध्यानाकर्षण ही नहीं है। ये point of order भी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात रख दी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं यह कहना चाहता हूं आप सरकार से इस पर रिप्लाई करवायें वरना हमारा ये विषय जो है, जारी रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी आपने अपनी बात रख ली ना। मैं बात कर लूंगा, आप से कह रहा हूं। बैठिये सदन को चलने दीजिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, यह विषय बहुत गंभीर है। ये बात करने का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम से, नियम की बात कह रहे हैं। सदन को नियम से चलायेंगे ना।...**(व्यवधान)**

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमारा विरोध है। कल भी जो बयान दिये गये

समिति के प्रतिवेदनों पर सहमति

अध्यक्ष महोदय : समिति के प्रतिवेदन पर सहमति।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उपमुख्य मंत्री जी द्वारा उसमें...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जगदीप सिंह जी सुश्री भावना गौड़। कोई बात नहीं आप चलिये, प्रस्ताव रखिए।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष जी...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।...**(व्यवधान)** ऐसे नहीं चलेगा। आप बोलते रहिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे...**(व्यवधान)**

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यमंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हूं।

(विपक्ष के तीनों माननीय सदस्य वैल में आये और नारेबाजी करते रहे)

अध्यक्ष महोदय : दिनेश मोहनीया जी।

श्री दिनेश मोहनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 23.06.2015 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 23.06.2015 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहे,
जो इसके विरोध में हैं वे ना कहे,
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

विजेन्द्र जी, मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं इसलिए उत्तर मैं नहीं दे सकता। नहीं तो मैं ऐसा गम्भीर उत्तर दे सकता हूं, ओम प्रकाश जी एक सेकेंड रुक जाइये। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं जगदीश जी से बात कर रहा हूं और आपने विषय रखा है, मैं उनसे बात करूंगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 का प्रस्तुतीकरण। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं विजेन्द्र जी, कि आप सदन की मर्यादा को बनायें, एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत सहन कर रहा हूं, हर दृष्टि से सहन कर रहा हूं। एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूं आपने स्वयं माना कि यह 2013 में रिपोर्ट आई थी। 2013-14 का फाइनेंशियल वर्ष चला गया, यहां भाजपा के सदस्य उस वक्त थे, एक सेकेंड मेरी बात आप सुन लीजिए पहले। आप बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। 2013-14 फाइनेंशियल ईयर में माननीय सदस्य यहां बी.जे. पी. के भी थे लगभग 23-24 सदस्ये थे, पूरे वर्ष चला उस वक्त? हम लोग नहीं रखवा सकें। एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए।

पिछले वर्ष एलजी का शासन था आप लोग लागू नहीं करवा सके। एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, लोक सभा के सदन पटल पर आ सकती थी, पूरी बात सुन लीजिए। जब वित्त मंत्री, विजेन्द्र जी आप पूरी बात सुन लीजिए। मैं कनक्लूजन कर रहा हूं विजेन्द्र जी, मैं कनक्लूजन कर रहा हूं इस बात का, आपसे मैंने कहा, आपने बात रखी कि मैं मंत्री जी से बात करूंगा। मैं फिर एक बार चेतावनी दे रहा हूं मुझे सदन को ठीक ढंग से चलाना है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं अध्यक्ष की कुर्सी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप वहां बैठे। आप बैठे। आप अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 का प्रस्तुतीकरण भी मनीष सिसोदिया जी, उपमुख्यमंत्री वर्ष 2014-15 हेतु दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण की हिन्दी-अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 2014-15 हेतु दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण की हिन्दी-अंग्रेजी की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।*

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्येन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री अपने विभाग से संबंधित कागजों के प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

ऊर्जा मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित कागजातों की प्रति सदन के पटल पर रखता हूं-*

(1) वर्ष 2012-13 हेतु इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लि. का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन।

पुस्तकालय में संदर्भ सं. - R-15153 :: पुस्तकालय में संदर्भ सं. R-15154-58 पर

(2) वर्ष 2012-13 हेतु दिल्ली ट्रांस्को लि. का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन।

(3) वर्ष 2013-14 हेतु दिल्ली ट्रांस्को लि. का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन।

(4) वर्ष 2012-13 हेतु दिल्ली पावर कम्पनी लि. का बारहवां वर्षिक प्रतिवेदन।

(5) वर्ष 2013-14 हेतु दिल्ली पावर कम्पनी लि. का तेरहवां वार्षिक प्रतिवदेन।

(6) दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता एवं निष्पादन मानक (संशोधन) संकल्प, 2015

अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष उल्लेख के बारे में व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : मैं एक विशेष घोषणा कर रहा हूँ माननीय सदस्यगण, विशेष उल्लेख के मामले में कई माननीय सदस्यों ने जो 280 के अंतर्गत विषय रखते हैं सदन में जिसमें ओम प्रकाश जी भी थे। 15 जून, 2015 कार्य मंत्रणा समिति की इंट्रोडक्टरी बैठक में कई माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई थी कि उनके द्वारा सदन में नियम 280 के अंतर्गत उठाये गये विशेष उल्लेख के मामलों का जवाब नहीं मिलता है या देर से मिलता है। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विशेष उल्लेख के मामलों का जवाब माननीय सदस्यों को व विधान सभा सचिवालय को 30 दिनों के भीतर मिल जाना चाहिए। मैं सभी माननीय मंत्रियों से यह प्रार्थना करता हूं कि अपने-अपने विभागों को निर्देश दें कि 30 दिन के अंदर नियम 280 के अंतर्गत उठाये गये विषयों को, वे उनका उत्तर संबंधित विधायक को अवश्य भेजें। नियम 280 के अंतर्गत श्री सही राम जी।

श्री सही राम : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी, यह कॉपी मेरे से ले लेना, यह मेरे हाथ में है, दिल्ली की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी, पिछले पंद्रह साल से दिल्ली नगर निगम में बैठी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान

दिलाना चाहूंगा, दिल्ली में अभी मेरे साथी कह रहे थे कि दिल्ली नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है दिल्ली सरकार। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सौतेला व्यवहार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से बैठे हुए हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, अब बहुत हो गया। आ जाइये प्लीज। सही राम जी, आप जारी रखिये।

नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

श्री सही राम : अध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली नहीं, हिन्दुस्तान का यह पहला इतिहास होगा कि दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी के ऊपर प्रोपर्टी टैक्स का नोटिस भेजा जा रहा है। दिल्ली में सरकार बनने से पहले झुग्गी-झोंपड़ी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया था। बदले की भावना से झुग्गियों के ऊपर प्रोपर्टी टैक्स का नोटिस भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इंटरफेयर करके इसको रोका जाये। दूसरा, पिछले लोक सभा चुनाव में बड़ा हो रहा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। दिल्ली देहात के गांवों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, यह विजेन्द्र गुप्ता जी बतायेंगे। मैं इनके साथ निगम का हिस्सा रहा हूं। जबकि यह गांव में प्रोपर्टी टैक्स लगाने की बात इन्होंने की, हमने इनका विरोध किया और प्रोपर्टी टैक्स को वापस कराया लेकिन बदकिस्मती कहूं या बदले की भावना कहूं आज दिल्ली के देहात के गांवों में प्रोपर्टी टैक्स के नोटिस जा रहे हैं। यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के साथ कौन सौतेला व्यवहार कर रहा है? दिल्ली नगर निगम कर रही है या दिल्ली सरकार कर रही है? यह फैसला विजेन्द्र गुप्ता जी करेंगे। मैं तो धन्यवाद करता हूं दिल्ली की सरकार का जिस तरह से दिल्ली विधान सभा में पहली बार झुग्गी-झोंपड़ी के ऊपर इतनी गहन

चिंतन हुआ, इतनी मुस्तैदी से काम हुआ, मैं धन्यवाद करता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने डिप्टी सीएम का कि वे दिल्ली सरकार में पहली बार ऐसा संशोधन लाये कि हम गरीब झुग्गी-झोंपड़ी वालों को न्याय दिला सकें और ये बात करते हैं निगम की। निगम का यह भ्रष्टाचार सब के सामने उजागर हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय दूसरा मैं कहना चाहूंगा बीएसईएस के बारे में गरीब झुग्गी-झोंपड़ी वाले के ऊपर कोई लीड उतार के ले जाता है तो बीएसईएस वाले कहते हैं अगर तुम अपनी छत से लीड हटवाओगे तो 3000 रु. प्रति लीड के हिसाब से जमा करना होगा। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि इस का संज्ञान लें, एक बात और मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, खासकर के विजेन्द्र गुप्ता जी को अभी मैंने कल इनकी बात सुनी तो शर्मा जी कह रहे थे कि मुझे दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं और विजेंद्र गुप्ता जी उकसा रहे थे कि नहीं तू बोल। तो मैं बताना चाहता हूं। मैं एक छोटी सी देहात की एक कहावत सुनाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, की विजेंद्र गुप्ता जी के घर में कोई फंक्शन हुआ, कोई शादी हुई तो चारपाई कम पड़ गई, ये आये ओमप्रकाश शर्मा जी के यहां कि यार, मेरे यहां चारपाई कम पड़ गई हैं, दो चारपाई दे दे, तो शर्मा जी कहते हैं यार चारपाई तो मेरे यहां भी नहीं है, तो बोले क्यों, तो बोले एक पर तो मैं और मेरे पिताजी सोते हैं और एक पर मेरी बहू और मेरी मां सोती हैं तो विजेंद्र गुप्ता जी कहने लगे, कि तुम सोना तो सीख लो चारपाई तो गई तेल लेने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयल : अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं मुझे

आपने बोलने का मौका दिया। आज मैं अपने मोती नगर क्षेत्र के पार्कों से जुड़ी समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां ढेर सारे पार्क हैं वहीं एक दुर्भाग्य की बात यह भी है कि जहां इन पार्कों में हरियाली होनी चाहिए बच्चों के खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, वहीं अधिकतर पार्क में हरी घास की बजाए बंजर दिखने वाली जमीन, कूड़े के ढेर दिखई देते हैं, कहीं टूटे झूले तो कहीं बिना झूलों का मैदान दिखता है जहां मनचले लड़कों तथा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। स्पीकर महोदय, हमारे कर्मपुरा ब्लॉक में पिछले साल की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जहां पार्क में एक बच्चे की झूला झुलते हुए मृत्यु हो गई, उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि हमारे एमसीडी ने उन झूलों को ठीक करने के बजाए उन झूलों को ही वहां से उठा लिया और दूसरे पार्कों से भी झूले हटा लिए। इनकी कार्यशैली पर जब भी कोई सवाल उठता है, वह समस्या के निवारण की जगह वहां की उपलब्ध बची खुची सुविधाएं भी खत्म कर देते हैं। स्पीकर महोदय, मुझे इनकी मंशा की ज्यादा समस्या नजर आती है। स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के डी ब्लॉक पार्क मोती नगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस में बुजुर्ग तथा बच्चे जाने से कतराते हैं क्योंकि यहां पर असामाजिक कार्य अपनी चरम सीमा पर हैं। पुलिस को कई बार इस की शिकायतें दर्ज कराई पर उसपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि एमसीडी के Horticulture विभाग के ऑफीसर ने भी शिकायत दर्ज करा रखी है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूं हमारे क्षेत्र के पार्क असुरक्षित हैं हमारे पार्कों की दशा चाहे दिन हो, रात हो यहां पर मनचलों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। जहां छोटे-छोटे बच्चे, बड़ों का तो

क्या कहना है, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं गाली-गलौच करते हैं, और शोर-शराबा करते हैं। वहां से गुजरती हुई महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करते हुए नजर आते हैं। ना तो किसी भी पार्क में सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था है और न ही पुलिस इन पर कोई कार्रवाई करती है। मैं खुद कई बार इन पार्कों का दौरा कर चुका हूं और मुझे हैरानी होती है कि उनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के सामने निडर होकर गैर कानूनी काम करते हैं। मैं इतना चाहता हूं कि एमसीडी अपनी जिम्मेदारी समझे और पुलिस मुस्तैदी से अपना काम करे।

...(व्यवधान)...

(विपक्ष के तीनों माननीय सदस्य वैल में आकर नारे-बाजी करने लगे)

अध्यक्ष महोदय : मार्शल तुरंत आयें और मुस्तैदी से अपना काम करें। मार्शल आ जायें, बाहर भेजों तीनों को बाहर निकालो, तीनो को खींच के ले जाएं बाहर, चलिए बाहर, तीनों को बाहर निकालिए, चलिए-चलिए ले के। बैठिए-बैठिए, ऋतुराज जी प्लीज

(विपक्ष के माननीय तीनों सदस्यों को मार्शल द्वारा सदन से बाहर निकाल दिया गया)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़े अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक ओर तो विपक्ष के सदस्य ये मांग कर रहे हैं कि दो-दिन का समय बढ़ा दिया जाए। कल ओमप्रकाश जी ने स्वयं मांग की और आज वो सदन का समय खराब कर रहे हैं इतना कीमती समय है, वो खराब कर रहे हैं। आज लगभग 34 विधायकों से आज 280 नियम के अंतर्गत हमको विषय प्राप्त हुए थे जिसमें से मैं 10 ले सका हूं और हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्या

उठाकर मंत्री महोदय का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता है। उस समय भी विघ्न डाला जाता है और मैंने बहुत समय दिया लेकिन वो सामने खड़े होकर नारे लगाते रहे मैंने उसके बावजूद भी नहीं रोका लेकिन सारी मर्यादाएं तोड़कर और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के इशारे पर ऊपर चढ़े हैं और अध्यक्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जिसके कारण मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है और ये किसी भी सदन के लिए गौरव का विषय नहीं है। ये हर विषय को लेकर के जिस ढंग से चर्चा करते हैं और वैल में आते हैं और वैल में आने के बाद सारी सीमाओं को तोड़ते हैं, ये सब हर तरीके से अपमानजनक है। मैं इस सदन के अध्यक्ष के नाते से भी ये उचित नहीं मानता और मैं इसकी निंदा करता हूं और मुझे बहुत मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है। श्री नितिन त्यागी जी। जगदीप जी अब चलने दीजिए नहीं-नहीं सदन को अब चलने दीजिए भई जगदीप जी, प्लीज बैठिए नितिन जी।

श्री नितिन त्यागी : थैंक्यू अध्यक्ष जी, आपने 280 के अंतर्गत मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं दिल्ली सरकार को जिसने कि बिजली का दाम 400 यूनिट तक आधा किया, उसके लिए में Congratulate करना चाहूंगा अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से। मैं लक्ष्मी नगर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं कहना चाहूंगा लक्ष्मी नगर की जनता जितना ज्यादा शुक्रिया करे वो कम है। लक्ष्मी नगर की जनता का एक ओर कहना है, क्योंकि मैं जनता को रिप्रेजेंट करता हूं उनका प्रतिनिधि हूं। मैं उनका जो repoesentation लेकर आया, वही बात मैं बोलना चाहता हूं। लोगों ने बिजली को जुडिशियली यूज करना सीखा, सीख रहे हैं। आज की तारीख में, जो लोग कभी मीटर देखते नहीं थे, मीटर

की रीडिंग हो जाया करती थी और बिल आ जाता था, आज की तारीख में वे देखते हैं कि हम लोग 400 यूनिट के नीचे-नीचे हर महीने अपने बिल को रखें। आप 24-25 दिन की रीडिंग लेकर के एवरेज आउट करके बिल मत बनाइये। इस तरीके से बिल लाने से जो रिसपान्सिबिली आज की तारीख में बिजली यूज कर रहे हैं उनके अन्दर बहुत परेशानी है। उनके अन्दर बहुत इस चीज को लेकरके दुख है कि है जो इतना जिम्मेदारी के साथ आज की तारीख में बिजली को यूज करने के बावजूद भी अगर बार-बार बिल एक्सीड कर जाता है किसी-न-किसी तरीके से, तो सर उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए तथा बिजली कम्पनी से कहा जाये कि मिनिमम 30 दिन का रीडिंग होना चाहिए। ये 24-25 दिन वाला फण्डा नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद नीतिन जी, श्री कैलाश गहलोत जी।

श्री कैलाश गहलोत : स्पीकर सर, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया और आपके माध्यम से मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिससे कि हम और मेरी तरह यहां जितने भी विधायक भाई और बहनें यहां बैठीं हुई हैं। सभी किसी न किसी कारण से पीड़ित हैं और अनथराईज कॉलोनीज का इश्यू हैं। स्पीकर सर, हमारे गवर्नमेन्ट के रिकार्ड के हिसाब से 1639, अनथराईज्ड कॉलोनीज हमारे दिल्ली में हैं और दिल्ली गवर्नमेन्ट के रिकार्ड के हिसाब से लगभग 30 परसेन्ट दिल्ली की पापुलेशन इन अनाथराईज्ड कॉलोनी में रहती है और ये सवाल बार-बार मैं अपने आप से भी पूछता हूं और जिनसे भी मुलाकात होती है उनसे भी पूछते हैं कि आखिर ये अनाथराईज्ड कॉलोनीज बनी क्यों? what is the root cause that all these unauthorized colonies came up? स्पीकर सर, जैसे आपको

मालूम है दिल्ली को डेवलप करने का पावर दिल्ली डवलपमेन्ट एक्ट के हिसाब से डीडीए को दिया गया है और 1962 में जब पहला दिल्ली मास्टर प्लान आया तब से लेकर आज तक कहीं-न-कहीं एक बहुत बड़ा गैप रहा। जिस हिसाब से डीडीए ने लो-कॉस्ट हाउसिंग और जनरल पब्लिक के लिए भी जो हाउसिंग प्लान किया उसमें कहीं-न-कहीं बहुत बड़ा गैप रहा जिसके कारण दूसरी स्टेट से जितने भी माइग्रेन्ट आये उन्होंने इन अनाथराईज्ड कॉलोनीज में अपने-अपने मकान बनाये। खून-पसीने की मेहनत से ये जगह खरीदी और ये मकान बनाएं और सबसे पहले मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये आदेश दिये कि दो साल के अन्दर-अन्दर हर कॉलोनी में पानी पहुंचाया जायेगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अपनी सरकार से ये भी गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से अनाथराईज्ड कॉलोनीज में अभी तक अलग-अलग समय में राजनीति होती आयी है, उस राजनीति को पीछे छोड़ते हुए एक कन्सट्रक्टिव एप्रोच लेकर कोई-न-कोई कानून इस सदन में जरूर लेकर आयें जिससे कि अनाथराईज्ड कॉलोनीज में जो हमारी 30 परसेन्ट पापुलेशन रह रही है, उनको अपने जमीन का पूरा एक टाइटिल मिले और उनके घर के नक्शे पास हो सकें और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से पूरी अनाथराईज्ड कॉलोनीज में लगभग पिछले 30 साल से राजनीति होती आयी।

अध्यक्ष महोदय : गहलोत जी, कृपया शार्ट करिए।

श्री कैलाश गहलोत : तो उसको हम छोड़कर और जितनी भी ये अनार्थराईज कॉलोनीज की जो प्राब्लम हैं इनको हम पूरा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री करतार सिंह तंवर जी।

श्री करतार सिंह तंवर : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आपने मुझे नियम 280 के तहत चर्चा पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष जी, जो मैं विषय उठाना चाहता हूं वो पूरी दिल्ली के देहात के गांवों से सम्बन्धित है। अध्यक्ष जी, दिल्ली देहात में कई सौ गांव आते हैं और गांवों में रहने के लिए जगह होती है जो सरकार की तरफ से एलाट की गयी है उसको लाल डोरा बोलते हैं और समय के साथ-साथ जैसे-जैसे आबादी बढ़ती हैं लाल डोरा बढ़ाया जाता है ताकि गांव के लोग उसमें अपना मकान बना सकें लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जिनका सौ-सौ साल से लाल डोरा नहीं बढ़ा अध्यक्ष जी।

मैं आपको अपनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कुछ गांवों का नाम बताना चाहता हूं। असोला गांव, भाटी गांव, फतेहपुर बेरी, जिनका आज से पहले 1907 में लाल डोरा बढ़ा था। अध्यक्ष जी, 1907 से 108 साल हो चुके हैं। देश को आजाद हुए 67 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन इतना भेदभाव इन गांव वालों के साथ। पिछली सरकारों ने, कोई भी पार्टी सत्ता में रही, क्यों अभी तक उन्हें वो सुविधा नहीं दी गयी अगर गांव का वो गरीब आदमी, गांव का किसान लाल डोरा से बाहर मकान बनाता है तो उसके साथ ह्रासमैन्ट होता है और उस जमीन को धारा 81 में वेस्ट कर दिया जाता है और उसकी जो लाखों-करोड़ों की जमीन है उसकी ऑनरशिप है, मलकियत है, वह सरकारी बना दी जाती है। तो अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि इस विषय पर तुरन्त कार्रवाई की जाये और जितने भी इस तरह के गांव हैं दिल्ली के देहात में। जल्द से जल्द जितने गांव में घर उस लाल डोरा से बाहर बन चुके हैं किसी भी गांव में उसको तुरन्त लाल डोरा घोषित किया जाए। उसको टाईमिंग किया जाये और अगर कही हालात हैं, जगह है तो उसका कन्सीडरेशन मतलब चकबन्दी करके

जल्द से जल्द बनाके गांव के लोगों को राहत दिलायी जाये ताकि जो उनके मकान है वो अपने लाल डोरा में मकान बना सकें। कोई छोटा-मोटा रोजगार, व्यवसाय भी अपनी जमीन पर कर सकें। अध्यक्ष जी, दिल्ली लैण्ड रिफार्म एक्ट की धारा 81 के तहत अगर कोई किसान अपनी जमीन पर खेती के अलावा कोई भी काम करता है तो उसके 81 में वेस्ट करके सरकारी बना दिया जाता है और यही लोगों के साथ होता है और यही वो अपना घर इस लाल डोरा की सीमा जो सालों से नहीं बढ़ी है, वहां अपना घर बनाता है। अध्यक्ष जी, आज अगर हम दिल्ली की बात करें और विशेषकर दक्षिणी दिल्ली की तो आज खेती के हालात नहीं बदले हैं। दिल्ली में पीने के पानी की भी भारी कमी है। खेती के लिए पानी कैसे उपलब्ध होगा? ट्यूवेल लगाने की परमीशन नहीं है। जो पहले बिजली का एग्रीकल्चर कनेक्शन होता था रियायती रेट पर वो भी जब से बिजली प्राईवेट हुई है वो भी बन्द कर दिया गया है तो आज 7-8 रुपये यूनिट में कैसे कोई खेती कर सकता है। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे विनती है कि जो डी एल आर एक्ट की धारा 81 है, ये 1954 का कानून है तब से आज तक 50-60 साल में बहुत परिवर्तन हो चुका है। आज दिल्ली के हालात खेती के लायक नहीं बचे हैं। पानी नहीं, बिजली नहीं तो कैसे किसान खेती करेगा और अगर किसान खेती नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय : तंवर जी, कन्क्लूड करिये। प्लीज।

श्री करतार सिंह तंवर : अध्यक्ष जी, एक मिनट। अगर किसान खेती न करके अपना पेट पालने के लिये, परिवार को चलाने के लिए अगर कोई छोटा मोटा स्टॉक डाल लेता है अगर उसमें कोई छोटा-मोटा दुकान खरीद के बना देता है तो उसको वेस्ट कर दिया जाता है ग्राम सभा में, सरकारी जमीन हो

जाती है। अध्यक्ष जी, इसलिए मेरी विनती है कि ये कानून अब प्रासांगिक नहीं है। जल्द से जल्द दिल्ली में धारा 81 समाप्त करके किसानों को राहत दी जाए। दिल्ली सरकार शायद इसको नहीं कर सकती है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पर एक प्रस्ताव पास करके अगर ये केन्द्र सरकार को करना है तो दिल्ली की सरकार किसानों को ये राहत दिलाते हुए उनका अधिकार दिलाते हुए 81 की धारा को समाप्त कराने के लिए विधान सभा से एक प्रस्ताव पास कराके और उसको केन्द्र सरकार को भेजें और जल्दी से जल्दी साथ-साथ लाल डोरा बढ़ाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय मैं भी अनोथोराइज्ड कॉलोनियों से संबंधित कुछ मुद्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं जो 2012 डेवलपमेन्ट एलाउ किया गया था। लेकिन 2012 के बाद 895 कालोनियों को चिन्हित किया गया और उसके बाद की कॉलोनियों में डेवलपमेन्ट करने से मना कर दिया गया। इससे असर यह हुआ कि कुछ कॉलोनियों में आधे डेवलपमेन्ट हुए और आधे नहीं हो पाये। अब जो आधी कॉलोनियां रह गयी हैं, वह नरक बन गया है। क्योंकि जहां से नाली बनी है सारा पानी वहां जाकर अटक जाता है। अभी इस चुनाव से पहले हमारे यहां एक कॉलोनी है कादी विहार जिसको दो पार्ट में टेण्डर होना था एक पार्ट तो हमने चुनाव से पहले करा दिया था दूसरा पार्ट चूंकि चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया था टेण्डर नहीं हो पाया। लेकिन अभी सरकार का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें यह कहा गया कि अब किसी भी कॉलोनी में डेवलपमेन्ट नहीं होगा जब वहां

सीवर, पाइप लाइन और सारी लाइन जब तक एक साथ नीचे न हो जाए। अब इसका असर यह हुआ कि हमारी उस कॉलोनी में आधी कॉलोनी का टेण्डर होना था, वह रुक गया। अब मेरे यहां सीवरेज का प्लान तीन साल तक नहीं है इसका मतलब है तीन साल तक विकास नहीं होगा उसका। अब जो लोग आधी कॉलोनी डवल्प हो गयी और आधी कालोनी डवल्प नहीं हुई। अब इससे वहां बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरा आपके थ्रू निवेदन है सरकार से कि उस नोटिफिकेशन को जहां जहां डेवलपमेन्ट अभी चल रहा है उसको इसमें लागू न किया जाए वर्ना इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा कॉलोनी के लोग परेशान हो रहे हैं लोग हमारे पास आते हैं। साथ-साथ जो 2012 के आर्डर के कारण जो दिक्कत हुई थी जिस कालोनी में, ऐसी तीन कालोनियां है हमारे यहां एक प्रेम नगर, नत्थू कॉलोनी और दूसरा कादी विहार जिसकी बात हम कर रहे थे। इन तीनों कॉलोनियों में ऐसी दिक्कत न हो ऐसी व्यवस्था की जाए और साथ-साथ मैं क्योंकि हम सब लोग अनोथोराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं अभी 239 कालोनियों में पाइप लाइन बिछाने का सरकार ने एक आर्डर निकाला है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कपिल जी को और सभी जल बोर्ड की टीम को और एक और नोटिफिकेशन जल बोर्ड से आया है, 80 परसेंट रिबेट कर दिया जाएगा डेवल्पमेन्ट चार्ज लेने में कनेक्शन में जिसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री हजारी लाल चौहान जी।

श्री हजारी लाल चौहान : अध्यक्ष जी, मुझे सदन में बोलने की इजाजत देने पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र पटेल नगर की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज

मेरे क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहा है जो कि एमसीडी में बीजेपी के नेताओं द्वारा बिल्डरों के साथ मिलीभगत करके हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अवैध निर्माण को रोका जाए मेरे क्षेत्र में दूसरी बड़ी समस्या पानी की है मेरा क्षेत्र कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहा है जहां पानी का वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है। पानी वितरण में जो लोग लगे हुए है, वह पिछली सरकारों से संबंधित लोग है इसलिए वह हमारा पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं ताकि जनता में हमारा छवि खराब हो सकें। मैंने इस विषय में जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भाई मिश्रा जी से, सीओ साहब से और उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मेरे क्षेत्र में पानी वितरण ईमानदारी से नहीं हो रहा है। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोग बूस्टर पर बैठकर इस ढंग से वितरण कर रहे हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक वो पानी लोगों को देते हैं जिससे लोगों को परेशानी का सामाना करना पड़ रहा है। इससे लोगों में यह भावना आ रही है वो हमारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पटेल नगर विधान सभा के विकास के लिए जरूरी कदम उठाएं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मोहेन्द्र गोयल जी।

श्री मोहेन्द्र गोयल : अध्यक्ष जी धन्यवाद, जो आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी दिल्ली में लगभग दो हजार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटिज है जो दिल्ली के कोओपरेटिंग सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। इसके अतिरिक्त कोओपरेटिव का हाउस बिल्डिंग सोसाइटिज भी है। दोनों प्रकार की सोसाइटिज में अन्तर यह है कि हाउस बिल्डिंग सोसाइटिज को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बल्क में जमीन दी जिस पर सोसाइटिज की प्रबन्धन समितियों ने सदस्यों की पाकेट एवं आवश्यकतानुसार

विभिन्न साइजों के प्लाट काटकर आबंटित किए तथा इन प्लाटों पर सदस्यों ने डी.डी.ए. से नक्शा पास करवाकर अपने मकान स्वयं बना लिए और इन पर सभी सोसाइटिज के विकास कार्यों के लिए सभी एजेंसियों जैसे सांसद, एमएलए फंड, काउसंलर फंड ये सभी प्रकार के फंड लेकिन दूसरे प्रकार के जो सोसाइटिज है जो कोओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटिज हैं जिनमें सदस्यों की संख्या अनुसार फलेट बनाकर सोसाइटी के सदस्यों को आबंटित किए गए परन्तु इन सोसाइटियों में सभी विकास कार्य जैसे पानी, सीवर, पार्क, सफाई, सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइटें इनकी सब की व्यवस्था सोसाइटी को अपने फंड से करनी पड़ती है। इसके अन्दर किसी भी प्रकार का कोई एमएलए फंड नहीं लगता, कोई भी एमपी के माध्यम से उस सोसाइटीज में फंड भी लग सकता है। किसी भी काउसंलर का फंड भी लग सकता है तो मेरी आपसे एक ही अपील है कि इन सोसाइटियों के लिए एमएलए फंड, काउसंलर फंड, और एमपी फंड, ये इन सोसाइटियों के अन्दर लग सकें जिससे कि इन सोसाइटियों का उद्धार हो सके। ये सोसाइटियां सब कुछ देती है। यह हाउस टैक्स भी देती है सभी व्यवस्था खुद करती है, चाहे सफाई की व्यवस्था है सोसाइटी अपने पैसे से करती है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है मनेजमेन्ट अपने पैसे से करती है जबकि स्ट्रीट लाइट के लिए कर्मशियल बिल इन सोसाइटियों से लिए जाते हैं जोकि बड़ा ही भेदभावपूर्ण है जबकि दूसरी कॉलोनियों के अन्दर यह सेक्टरों के अन्दर ये बिल सरकार के द्वारा पे होते हैं। यह भेदभाव इन सोसाइटियों के साथ नहीं होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से यही दरख्वास्त है कि इन सोसाइटियों के प्रति जो भी अच्छे से अच्छे सोचा जा सकें वो प्लीज आप सोचिए और एक समस्या और है मेरे एरिये की वहां पर अवैध निर्माण बहुत होते हैं। एमसीडी के द्वारा वो अवैध

निर्माण करवाये जा रहे हैं मेरी एक अपील है इसमें कि एफएआर के नाम के ऊपर ये सब लूट खसोट हो रही है। कहीं कहीं 90 मीटर का प्लाट है कहीं 60 मीटर का प्लाट है तकरीबन वो कवर आदमी पूरा करता है जिससे कि रिश्वत को बढ़ावा मिलता है इसके ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा जिससे कि इस रिश्वतखोरी पर लगाम लग सके। एमसीडी के कर्मचारी या डीडीए के कर्मचारी जो ये एफएआर के नाम पर जो पैसे लेके जाते हैं, ये लूट खसोट बन्द हो धन्यवाद जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदय : श्री ऋतुराज।

श्री ऋतुराज गोविन्द : आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जिस मुद्दे को आज इस सदन के सामने रखने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है आज के इस अखबार में छपा है कि ईडीएमसी जो ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन है, उसने जितने भी स्कूल्स हैं चाहे उसके अंदर सरकारी स्कूल हो, प्राईवेट स्कूल हो, केन्द्रीय विद्यालय हो, इन सभी के अंदर जितने भी स्वीमिंग पूल्स हैं, जहां पर छोटे-छोटे बच्चे स्वीमिंग सीखकर आगे जाकर के एशियन गेम्स हो या जितनी भी प्रतियोगितायें हों, वहां पर जाकर के जहां देश नाम रोशन करते हैं, राज्य का नाम रोशन करते हैं, इसके ऊपर ईडीएमसी ने जो गुण्डागर्दी की है अभी तक ईडीएमसी जो है जितने भी स्वीमिंग पूल्स थे इनके लाइसेंस के Renewal फीस के रूप में 1200 रुपया प्रति वर्ष लिया करती थी लेकिन आज इस अखबार में छपा है माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि 33 गुणा बढ़ाने का काम किया है यानि कि एक साल में 40 हजार रुपया सिर्फ आपको

Renewal फीस देना पड़ रहा है 40 हजार रुपया। एक बहुत शर्मनाक घटना हुई है। एक चीज की तरफ और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि तीनों के तीनों मेयर आज धरने पर बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि तीनों के तीनों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो आज घाटा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के चलते हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम नहीं लगायेंगे। ये लोग एक शुरूआत करने जा रहे हैं। ये अपना जो घाटा है, इसे किसी रूप में अगर अगर पूरा करेंगे तो आम जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालकर करेंगे। जैसा कि अभी अभी भाई साहब ने कहा कि पहली बार इतनी शर्मनाक घटना हो रही है दिल्ली में कि एमसीडी झुग्गी झोपड़ियों से हाउस टैक्स लेने वाली है और एमसीडी ने शुरूआत की है इन छोटे-छोटे बच्चों पर टैक्स का बोझ डालकर के। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। ये एक शुरूआत है। जोकि इन्होंने बच्चों से किया है और आगे आने वाले समय में अगर ये अगर ये दिल्ली की आम जनता को इसी तरह से सतायेंगे दिल्ली की आम जनता के ऊपर हाउस टैक्स के रूप में स्वीमिंग पूल्स के टैक्स के रूप में और इसी तरह से ये लोग करने की कोशिश करेंगे ये इनका षडयंत्र है और माननीय अध्याक्ष जी मैं आपके माध्यम से, मैं एल जी साहब से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि तुरंत ईडीएमसी का ये जो ये जो फरमान है जो इन्होंने जारी किया है इसको वापिस लिया जाये। इस पर हम विरोध दर्ज करवाते हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ये ऋतुराज जी कौन से अखबार की घटना है।

श्री ऋतुराज गोविन्द : ये ये आज के 'हिन्दुस्तान टाईम्स' में छपा है जिसमें ये साफ लिया है कि पूल के लाइसेंस फीस 30 गुणा बढ़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री ऋतुराज गोविन्द : ये आज के हिन्दुस्तान में छपा है जी।

अध्यक्ष महोदय : बैठिये, धन्यवाद। कल अल्पकालिक चर्चा में एक बहुत गम्भीर विषय हमारा रह गया था जिसको मैं आज ले रहा हूं।

अल्पकालिक चर्चा

श्री जरनैल सिंह (राजोरी गार्डन) **:** एक आधा मिनट चाहिए मुझे सिर्फ वहां पर एन.ए./एन.ई. ब्लॉक विष्णु गार्डन में बिजली का ऐसा फाल्ट हुआ कि चार गलियों में सौ से अधिक मीटर बम धमाकों की तरह उड़ गये। घरों में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री जल गई और लोगों के घर के अंदर उनके फ्रिज, उनके टी वी सब जल गये, लोग बिल्कुल त्राहि त्राहि करते हुए बाहर निकले। एक के बाद एक धमाका हो रहा था पूरे इलाके के अंदर। ये बीएसईएस की बहुत बड़ी लापरवाही है अब वहां पर टैम्परेरी तौर पर बिजली रिस्टोर की गई है। मैं वहां पर था, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे मीटर कौन लगायेगा जो हमारा नुकसान हो गया है जो हमारे घर जल गये हैं। वहां पर 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगानी पड़ी तब जाकर आग को काबू में किया जा सका। मेरी विनय है, मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं मैंने निजी तौर पर उनके साथ मसला उठाया था। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा ये जो नुकसान हो गया, जो हमारे साथ हुआ, परमात्मा की कृपा है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से हर एक घर के अंदर बम फट रहा था, लोग बाहर निकल रहे थे ये बी एस ई एस की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जाये। उनको मुआवजा दिलाया जाये। धन्यवाद आपका।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मदन लाल जी अन-अथोराइजड कॉलोनीज के विषय में अपनी बात रखेंगे।

श्री मदन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हमें बोलने का मौका मिला। दिल्ली में अन-अथोराइजड कॉलोनीज, जब से देश आजाद हुआ है, उसके बाद से लगातार बढ़ती रही। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में ब्रिटिश सेटलमेंट 1911 में आया और उसके बाद सबसे पहले विकटिम बने यहां के गांव के वासी जो आज लूटियनस जोन में आते हैं। इन लोगों की जमीनें अंग्रेजों ने उस समय के प्लान्ड डेवलपमेंट के नाम पर एक्वायर कर ली और उन लोगों को अपनी मर्जी से कहीं भी सेटल होने के लिए छोड़ दिया। उन लोगों ने जहां-जहां जगह खरीदी वो जगह सारी बेतरतीब तरीके से लेते गए। ये सिलसिला 1930 में चला Ancient Moonument Protection के नाम पर जो पुराने मकबरे थे, उसके आसपास के सारे लोग हटा दिये गये और उन्हें भी भगवान भरोसे छोड़ दिया। उसके बाद देश आजाद हुआ। कुछ लोग यहां से पाकिस्तान गये, कुछ लोग पाकिस्तान से यहां आये और एक अलग तरह का माहौल हुआ। जहां लोग अपनी मर्जी से अपनी अपनी जगह सैटल होने लगे। 1947 की आजादी के बाद देश को जरूरत पड़ी अपने देश को डेवलप करने की और 1957 में एक Planned development के नाम पर डीडीए का उदय हुआ। डीडीए ने भी जो जमीन खरीदी, वो केवल या तो सरकारी भवनों के लिए खरीदी। उस पर सरकारी भवनों को डेवलप किया या फिर उन सरकारी अधिकारियों के मकान जो उस समय के डेवलमेंट के लिए हिस्सा बने थे। परंतु वो ये भूल गये कि जिन लोगों की जमीन उन्होंने एक्वायर की है उन लोगों को भी यहां रहने का अधिकार था। अत: वो लोग जिनकी जमीन एक्वायर हुई वो लोग दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अनप्लान्ड तरीके से बसते चले गये और ये शुरूआत हो गई अन-अथोराइज्ड कॉलोनीज की। 1970 और 1980 के दशक में डीडीए ने और ज्यादा जमीन एक्वायर की और उसके बाद जो सिलसिला लगातार क्योंकि दिल्ली

में डेवलपमेंट हो रही थी, बाहर से लोग माइग्रेट कर रहे थे बाहर से लोग इस दिल्ली का हिस्सा बनना चाहते थे वो दिल्ली में लगातार आते रहे और हर जगह क्योंकि सरकार की कोई पालिसी लोगों के प्रति नहीं थी केवल सरकारी अधिकारी या सरकारी बिल्डिंग के नाम पर थी और डीडीए केवल उन्हीं जगह को डेवलप करता रहा जो सरकार से फंडिंग होती थी। लिहाजा दिल्ली में एक अजीब तरीके का माहौल हुआ और उसके बाद अन-अथोराइज्ड कॉलोनी बनने लगी। आज दिल्ली में लगभग 1639 अन-अथोराइज्ड कालोनी है। 2008 में श्रीमती शीला दीक्षित जो उस समय की चीफ मिनीस्टर थी, उन्होंने इलेक्शन से तुरंत पहले 1218 अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के नाम पर टेम्परेरी सर्टिफिकेट बांटे और उसके बाद 2013 में उस समय की बीजेपी के नेताओं ने नारे दिये, बीजेपी का ये ऐलान जहां झुग्गी वहीं मकान और उन्होंने भी इसमें लोगों को एक आस दिखाई कि हम तुम्हारा प्लाड डेवलपमेंट करेंगे। परंतु न 2008 में, न 2013 में और न आज तक कुछ भी किसी सरकार ने इन लोगों के बारे में सोचा। 2008 में जिन 1218 कॉलोनियों को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था टेम्परेरी डेवलप करने का, उसमें डन्होंने कुछ नहीं किया आपके और अंत में 2010 में 895 कॉलोनियों को डेवलप करने की बात की गई। मैं आपके माध्यम से यहां ये भी बताना चाहता हूं कि उस समय 583 अन-अथोराइज्ड कॉलोनी गर्वनमेंट की जमीन पर बनी हुई थी ये गर्वनमेंट की जमीन वो थी जो दिल्ली के गावं के आसपास गांव सभा की जमीन कहलाती थी, जिसे अभी हमारे दोस्त ने कहा कि अगर दिल्ली में आपकी जमीन पे कोई खेती की जमीन पर अगर

कोई किसी ओर से यूज कर ले तो दिल्ली लैण्ड रिफार्म्स एक्ट का सैक्शन 81 उसे दिल्ली गर्वनमेंट में वेस्ट कर देता है। उस जमीन पर बनी हुई कॉलोनियां जो 583 हैं वो भी मोहताज हैं किसी भी सुविधा को पाने के लिए। उसके अलावा 200, 312 कॉलोनियां जो वो हैं जो अपनी अपनी जगह पर बसी हैं जहां-जहां के लोगों ने अपनी खेती की जमीन को अनअथोराइज्ड कालोनी में वितरित कर दिया और वो लोग वहां रहने को मजबूर हुए। ये एक अन-प्लान्ड सिटी थी। यहां जो आया वो बस गया और आज के दिन दिल्ली में दिल्ली की पूरी टोटल पोपूलेशन का लगभग 30 परसेंट लोग आज के दिन दिल्ली की इन अन-अथोराइज्ड कालोनियों में रहने को मोहताज हैं जहां न तो पानी मिलता है, न सीवर है, बिजली का कहीं कहीं बिल्कुल नामो निशान नहीं है और मूलभूत सुविधायें नहीं है। इसके साथ एक बहुत ताज्जुब की बात है कि जिस आदमी ने वो जमीन खरीदी, उस आदमी के पास आज भी कोई क्लीयर टाइटल नहीं है। कई-कई जगह देखा जाता है कि एक ही आदमी ने अपनी जमीन क्योंकि उसकी मार्किंग नहीं है, डिमारकेशन नहीं है, नंबरिंग नहीं है, एक ही जमीन को उसने कई कई बार बेच दिया। जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लिटिंगेशन, बहुत सारी दुखदायी घटनाएं होती हैं। आज के दिन उस वजह से क्योंकि क्लीयर टाईटल नहीं है सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं होती, फिजीकली उसकी वजह से सरकार को हजारों करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। जो खरीद फरोख्त की रेवेन्यू के नाम पर सरकार को मिल सकता है, वो धन इस पूरी की पूरी कॉलोनियों को जो लगभग 30 परसेन्ट है पूरी जमीन का और पूरी दिल्ली का उसके प्लान डेवलपमेंट के लिए खर्च हो सकता है परन्तु अब तक की सरकारों

ने केवल एक लॉलीपाप दिया है, केवल भरोसा दिलाया है और ये पहली बार हुआ कि आम पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी ने अपने इलैक्शन मेनिफेस्टों में कहा था कि हम जहां कहीं झुग्गी होगी, वहां जरूर मकान बनाएंगे और ये आज उन्हीं की सोच है। हमारे सामने डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं, उनकी दूरदर्शिता है कि आज के दिन उन्होंने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह संभाल के इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आज के दिन हमें यह महसूस होता है, यह आशा बंधी है पूरी दिल्ली के लोगों को कि अतिशीघ्र दिल्ली की जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं वे नियमित की जाएंगी या मूलभूत सुविधाएं प्रदान करवाई जाएंगी लोगों को और एक ऐसा माहौल दिया जाएगा कि लोगों के पास अपनी जमीन के मालिकाना हक होंगे, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी और वो जो सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी और वे जो कॉलोनी है उनके डवल्पमेंट में काम आएगी। उनका सीवर होगा, उनका पानी होगा, उनकी सड़कें होंगी, उनकी बिजली होगी तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम आज के दिन यहां ये फैसला लें कि इन अनॉथराइज्ड कालोनीज को हमें सबसे पहले डेवल्पमेंट करने की दिशा में कदम उठाना है और उसके लिए हमें सारे प्रयत्न हर दिशा के एक कमेटी बनाई जाए उस कमेटी में सरकार की तरफ से जितने जरूरी हों, जहां-जहां जरूरत हो, जिस-जिस तरह कालोनी की डेवलपमेंट हो सकती हो, उसके लिए सजेशन्स मांगे जाएं और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि जो लोग सरकारी जमीन पर बैठे हुए हैं, चूंकि वो हट नहीं सकते, अगर हमने उन्हें हटाने की कोशिश की...

अध्यक्ष महोदय : मदन जी कनक्ल्यूड करिए अब, प्लीज कनक्ल्यूड करिए।

श्री मदन लाल : तो उससे ज्यादा खर्चे उन्हें हटाने में लगेगा लिहाजा उन्हीं कॉलोनियों को उन्हीं जगह विकसित किया जाए और वो सारा का सारा पैसा एक सही दिशा में एक सही निर्णय लेकर उन्हीं लोगों से लिया जाए जो सरकार की जमीन पर बैठे हैं और जो प्राइवेट बैठे हैं और जो प्राईवेट लैण्ड जिन्होंने खरीदी है उनसे मिनिमम चार्जेस करके उस पूरे क्षेत्र को डेवलप किया जाए जिससे राजधानी सुन्दर राजधानी हो और जो सीएम साहब का सपना है कि दिल्ली दुनिया की सबसे बेहतरीन सिटी हम इसको बनाएंगे, दुनिया की सबसे बेहतर कैपिटल बनाएंगे, वो एक काम उन्होंने शुरू कर दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और उप-मुख्यमंत्री जी के पूरे सहयोग और उनके कर्तव्य, लगन और मेहनत से दिल्ली जरूर अगले दस साल में विश्व की सबसे बेस्ट कैपिटल्स में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप-मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस विषय में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई है और पूरी लगन और मेहनत से इस दिशा में कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं उनको और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि इस बात के मद्देनज़र उन 60 लाख लोगों की जो इन अनॉथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, 60 लाख लोग ऐसे जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में सरकार जरूर सोचेगी और जो सोच है उसे बहुत जल्दी पूर्ण करेगी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो मेरे मित्र मदन लाल जी ने सदन के सामने, अनॉथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की बात रखी है। इसका एक अपना गहरा इतिहास है। पॉलीटिक्स ऑफ अनॉथराइज्ड कॉलोनीज। पहली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त ही इस मुद्दे के ऊपर गहरी चर्चा हुई थी। अक्सर देखने में ये आता है कि राजनीतिक पार्टियां अनॉथराइज्ड कॉलोनीज और उसमें रहने वाले लोग जो करीब-करीब 40 लाख हैं जो thirty percent जो पॉपुलेशन है उसको एक वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। हर पांच साल के टेन्योर के अन्त में वो कुछ लालीपॉप्स देकर के हम आपको परमानेन्ट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जायेगा आज से पहले भाजपा और कांग्रेस ने ऐसे लॉलीपॉप खूब बांटे। तो लॉलीपॉप तो चूस लिये गये और खत्म हो गये और आज स्थिति जस की तस बनी रही। ये पैदा कहां से होते हैं, अनॉथराइज्ड कॉलोनीज होता क्यों है, अनॉथराइज्ड है क्या हमारे पास दो इंस्टीट्यूशन्स हैं उनके नाम हैं एमसीडी और डीडीए। एमसीडी जो पापुलरली आजकल जाना जाता है मदर ऑफ करप्ट डिपार्टमेंट्स के नाम से आज शायद अगले डेढ़ साल दो साल और रहेगा जब तक कि आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव में आयेगी तब जाके हम इसको फ्री करेंगे करप्शन से। लेकिन एमसीडी डीडीए और पुलिस ये तीनों रिस्पॉसीब्ल हैं कि दिल्ली में जहां भी अनॉथराइज्ड कॉलोनीज बन रही हैं। मेरे साथी कैलाश गहलौत साहब जी ने भी कहा कि मास्टर प्लॉन 1962 के जो प्रोवीजन्स हैं उसके वॉयोलेशन में जो कुछ भी हो रहा है, एक तो लैंड यूज का वॉयोलेशन फिर प्लॉट्स किस तरह से कटेंगे उसका वॉयोलेशन है, फिर उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका वॉयोलेशन। अब ये वॉयोलेशन क्यों हुआ, किसने किया और कब किया? जब ये कॉलोनीज बनती हैं, उस वक्त

अथॉरिटीज बिल्कुल ही नेग्लीजेंट होती है अपनी ड्यूटी की तरफ। उनको शायद इंस्ट्रक्शन्स होते हैं पॉलीटिक्ल मास्टर्स की तरफ से कि बनने दिया जाए। एक बहुत बड़ा खरबों रुपये का व्यापार चल रहा है। अक्सर जो developed देश है वहां पहले युटिलीटीज की व्यवस्था की जाती है। पानी कहां से आयेगा, सीवर का क्या होगा, रोड का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, उसके बाद कॉलोनीज बसती हैं। यहां उल्टा होता है। दिल्ली के अन्दर नाक के नीचे पहले कॉलोनीज बसती हैं उसके बाद पानी की डिमांड आती है। रिर्सोसेज के ऊपर इतना ज्यादा दबाव होता है कि अनॉथराइज्ड कॉलोनीज के चक्कर में जो अथॉराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको भी पानी नसीब नहीं हो पाता। मैंने तो पीछे जब हमारी सरकार नहीं थी, एल.जी. साहब को मैंने लिख के भेजा था कि बिल्डिंग विभाग अगर एमसीडी से बाहर ले लिया जाये तब जाकर के एमसीडी में कुछ ढंग का काम हो पायेगा। ये बिल्डिंग डिमार्टमेंट एक वो दुधारू गाय है जिसको कॉउंसिलर व्यवस्था का दरुपयोग करते हुए खूब चूसते हैं और उन्होंने इतने इस पोस्ट पर disproportionate assets बना लिये हैं। भाजपा के मित्र यहां पर नहीं हैं लेकिन आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि अगर वास्तव में करप्शन के प्रति उनका मोह नहीं है और वो नहीं करना चाहते करप्शन तो अपने कॉउंसिल्र्स की disproportionate assets की जांच करवा लें, फिर मालूम पड़े ये जो करोड़ों खरबों रुपये का जो इकट्ठा होना जो उनकी जिन्दगी में हुआ है, वो कहां से आया है। मदनलाल जी ने बड़े सटीक शब्दों में अपनी बातें रखीं और आज मैं अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप-मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार आते के साथ ही बगैर किसी चुनाव का वेट किये उन्होंने अनॉउंस कर दिया कि जितनी अनॉथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उनको हम ऑथोराइज करने वाले हैं

और ये बहुत बड़ी बात है, पूरे भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार काम करना चाहती है, राजनीति नहीं कराना चाहती है। प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के आदेश दे दिये गये और मुझे आशा है कि जिस कदम से हमारी सरकार इसकी तरफ, इस कदम की तरफ काम कर रही है, आने वाले समय में अनॉथराइज्ड कॉलोनीज के निवासियों को समस्याओं से परमानेन्ट निजात मिल जाएगा। जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय एक बहुत बड़ा इश्यू जो, चूंकि मैं मेम्बर डीडीए भी हूं, मुझे जान के हैरानी हुई कि डीडीए के पास अपनी जमीनों का कोई हिसाब-किताब नहीं है। उनके पास कोई सूची नहीं है कि आज दिल्ली में कितनी जमीनें उनकी अपनी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के अंदर उन अधिकारियों को साथ लेकर घूमा और बड़ी बड़ी जमीनों के टुकड़ों को आइडैन्टिफाई करवाया और बोला कि ये आपकी जमीन है। उनके पास कोई सूची नहीं है। यह मेरे पास एक फाइल है जिस पर कि एक काउन्सलर हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री शैलेन्द्र मोन्टी, वह चेयरपरसन थे साउथ एमसीडी के। अभी उनको हटाया गया है। मेरे पास आर.टी.आई. का जवाब है। जवाब में बाकायदा लिखा है, डीडीए ने स्वीकार किया है कि उसकी जमीन को इन्क्रोच करके उनकी पत्नी श्रीमती रेणु सिंह जी ने एक होटल बनाया और उसका नाम रखा 'दि रोज'। 'दि रोज' वहां पर वर्षों से चल रहा था। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी गहराई से जांच हो कि डीडीए की जमीन और एलजी साहब उसके चेयरपर्सन हैं डीडीए के। डीडीए की जमीनों का लेखा जोखा डीडीए ले और जितनी भी, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, जो कि नहीं निकलेगा। जिस किसी ने भी पब्लिक प्रापर्टी को इन्क्रोच किया है, उसको तुरन्त

आइडैन्टिफाई करके वापस लिया जाये, उनके कंस्ट्रक्शन को डिमॉलिश किया जाये। और मेरे सभी साथियों को मालूम है सभी के पास...

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, अनॉथराइज्ड कॉलोनी का मसला है, इसके ऊपर जब तक सीरियसली डीडीए और एमसीडी दोनों एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली को जिस तरह से हमने इनहैरिट किया है, यह आई.सी.यू. में थी। इन्टैन्सीव केयर यूनिट में थी। हमारी सरकार, हमारे साथी विधायकों ने बहुत परिश्रम करके इसको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। जब वह वार्ड में शिफ्ट होगी तो उसका प्रॉपर ट्रीटमैन्ट किया जा सकेगा। जब मेरे साथी डीडीए के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें और ऑन रिकॉर्ड में इसको एप्रिशिएट करना चाहता हूं कि जिस कद्र दिल्ली में पानी की व्यवस्था सुधरी, माननीय मुख्यमंत्री की मदद से, काबिले तारीफ है। अनॉथराइज्ड कॉलोनी का मुद्दा, मुझे भरोसा है कि हमारी सरकार वन्स फॉर ऑल इसको खत्म करेगी और वहां के निवासियों को जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, इस पर हो रही राजनीति बरसों पुरानी है, उसको खत्म कर पायेंगे। इसके लिए मैं उनको एडवान्स में मुबारकबाद भी दे देता हूं और आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महादेय : सुश्री भावना गौड़।

सुश्री भावना गौड़ : शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। दिल्ली देश की राजधानी है और मुझे लगता है कि हमारे अधिकांश विधायकों का कहीं न कहीं

अनॉथराइज्ड कॉलोनियों से सम्पर्क है, सम्बन्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य को एक छोटे से उदाहरण के साथ प्रस्तुत करूंगी। हम सभी ने इतिहास में मोहन जोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ा है। जब अंग्रेज हिन्दुस्तान में आये और उन्होंने 1922 में विकास की प्रक्रिया शुरू की तो खुदाई में कुछ अवशेष प्राप्त हुए। वह अवशेष, जब पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने उनकी जांच की तो पता चला कि वे अवशेष नालियों के अवशेष हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे विधायकों के एरिया में पानी की निकासी के नाम पर कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात किसी बेमतलब के लिए नहीं कह रही हूं। इसका कोई न कोई अर्थ है। मुझे लगता है कि हम सभी लोग किसी न किसी गलतफहमी में जी रहे हैं। अपने आप को सभ्य समाज का एक हिस्सा कहते हैं, एक अंग कहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहती हूं कि ये अनॉथराइज्ड कॉलोनीज अगर बस गयी तो कहां से बसी, कैसे बसी, कब बसी, इन सभी चीजों का जवाब मैं सदन के माध्यम से जानना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, अगर थोड़ा सा हम अतीत में आयें, जो हम जानेंगे कि वोट बैंक की राजनीति की है। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। मुझे लगता है कि इन कॉलोनियों के बसने के पीछे, भारी तादाद में इन कॉलोनियों का बसना, उसके पीछे न केवल ये पार्टियां रही हैं, इसका सीधा सीधा दायित्व उस जिले के डीसी महोदय, वहां का पुलिस विभाग और वहां के चुने हुए प्रतिनिधि, ये सब उसमें कहीं न कहीं शामिल होते हैं। इन सब लोगों की अनॉथराइज्ड कॉलोनियों को बसाने की जिम्मेदारी हम लोगों को तय करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के पास, जिनका अपना वोटर आईडी कार्ड बना है, उसके पास सीवरेज के कनैक्शन हैं, उनके पास बिजली के कनैक्शन हैं, उनके पास सारी मूलभूत सुविधाएं कहीं न कहीं सरकारी तंत्र के माध्यम से आज भी उपस्थित हैं। उसके बावजूद भी इन कॉलोनियों को अनधिकृत कॉलोनी क्यों कहा जाता है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी जो मानवीय संवेदनाओं में जीते हैं, उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात को कहा था कि अनधिकृत कॉलोनी शब्द के इस्तेमाल करने पर बहुत भारी एतराज जताया। उन्होंने कहा कि जो लोग अनधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, हम उनके लिए अनधिाकृत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द अपने आप में गलत है और इस शब्द को बदलकर हमें इसका कोई नया नाम करण करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, 2008 में दिल्ली में विधान सभा के चुनाव हुए। उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। उन्होंने लोगों को झांसा दिया। उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य किया। रामलीला ग्राउण्ड में एक बहुत भारी सभा का आयोजन किया। वहां आरडब्ल्यूएज के सारे रिप्रजेन्टिटेटिव्स को इन्वाइट किया गया और उसके अंदर प्रोविजनल सर्टिफिकेट सोनिया गांधी जी के हाथों से सारी आरडब्ल्यूएज को दिलवाया गया और ये बताया गया कि चूंकि इन कॉलोनियों के लोगों ने अपनी जिन्दगी की सारी जमा पूंजी लगाकर के इन कॉलोनियों में 40 गज का, 50 गज का मकान बनाया है, इसलिए न तो हम इनको तोड़ेंगे और न इनको गिरायेंगे और इनमें मूलभूत सुविधाएं हम इन लोगों को देंगे। मैं सदन के समक्ष वह प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहां पर सभी को दिखाना चाहती हूं। मैं मीडिया के बन्धुओं को भी कहूंगी कि यही वह

प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जो दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को दिया गया और 24 मार्च, 2008 नोटिफिकेशन सं. नं. एस.ओ./63ई/ सोसायटी एक्स नं. 1861 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन सं. नं. एस. 18843/1988 ये वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जो पालम की एक कॉलोनी को सोनिया गांधी जी के हाथों से दिलवाया गया है। अध्यक्ष महोदय, बीजेपी ने भी लोगों को इसी तरह से छला। मोदी जी की सरकार आई। उन्होंने कहा कि सबको मकान, सबका विकास इस तरह का नारा मोदी जी ने दिया। अधिसूचना उनके द्वारा जारी की गई और कहा गया कि इन कॉलोनियों में 60-65 लाख की तादाद में लोग रहते हैं। इनके मकानों को तोड़ा नहीं जायेगा। इस बात को उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब सत्ता में आयेगी तो 200 दिन के भीतर भीतर हम इन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि उनकी सरकार के आने के बाद दक्षिण पश्चिमी जिले की एक कॉलोनी उसके ऊपर बुल्डोजर चलवाया गया। श्री अरविन्द केजरीवाल जी...

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ : सर, महिला होने के नाते दो मिनट ज्यादा देने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं प्लीज आप बड़ी चतुराई से बात कर रही हैं।

सुश्री भावना गौड़ : ठीक है। शुक्रिया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके माध्यम से सदन के सभी बन्धुओं के समक्ष रखूंगी। रिज़ एरिया जिसे हम यमुना की लाईफ लाईन के नाम से जानते हैं, वहां धीरे-धीरे

अनओथोराईज्ड कॉलोनियां बस गईं। फोरेस्ट लैंड, जंगल पर जंगल कट गए वहां पर अनओथोराईज्ड कॉलोनियां बस गईं। उसके साथ ही पुरातत्व विभाग की जमीन। पुरातत्व विभाग जिसके अन्दर आप खुदाई भी नहीं कर सकते हैं। वहां पर आज की डेट में 48 अनओथोराईज्ड कॉलोनियां हैं। फोरेस्ट लैंड के ऊपर 157 अनओथोराईज्ड कॉलोनियां आज के टाईम में बसी हुई हैं। मैं पूछना चाहूंगी सदन के माध्यम से जिस जमीन को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, वहां इतनी बड़ी-बड़ी कॉलोनियों का निर्माण कैसे हो गया? मैं अभी दो-तीन दिन पहले का न्यूज पेपर पढ़ रही थी। उसमें दिल्ली नगर निगम ने कहा कि हम अनओथोराईज्ड कॉलोनियों से टैक्स वसूलेंगे। बहुत अच्छी बात है। साथ-साथ मैं उनको एक सुझाव और दूंगी कि कम से कम अनओथोराईज्ड कॉलोनियों में नक्शे भी पास करना आप लोग शुरू कीजिए। इनको नियमित करने में हमारा साथ दीजिए, हमारा सहयोग दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता जागरूक हो गई है। हम सब इसका परिणाम हैं। बस एक मेरा निवेदन और है और विशेष तौर पे मैं बधाई दूंगी आप सभी को, आम आदमी की पार्टी की सरकार में सम्पति का रजिस्ट्रीकरण करके और पानी और सीवर में 80 परसेंट का जो शुल्क उन्होंने माफ किया है यह अपने आप में यह सिद्ध करता है कि अनओथोराईज्ड कॉलोनियों का विकास आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता है। दिल्ली के उप-मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि अवैध ा कॉलोनियों को नियमित करने के प्रति हम और हमारी सरकार समर्पित है। एक निवेदन है मेरा मनीष जी से कि आप अनओथोराईज्ड कॉलोनियों के ले आउट प्लान को दिल्ली नगर निगम को भेजिए। उनसे नियमित करवाने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ इन कॉलोनियों का जब सीमा निर्धारण का काम पूरा हो जाए तो इसके बाद में इनका पंजीकरण करना शुरू कीजिए। दिल्ली राष्ट्र की

राजधानी है और इसके विकास के लिए हमारा सदन पूरी तरह से एक जुट होकर खड़ा है। बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री संजीव झा।

श्री संजीव झा : बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जिस विधान सभा से मैं आता हूं वो पूरा अनओथोराईज्ड कॉलोनी पर ही बसा हुआ है। हर रोज मुझे वहां के लोगों की समस्या से दो-चार होना पड़ता है। आज तक अनओथोराईज्ड कॉलोनी केवल राजनीति का अड्डा बना रहा। जब जब चुनाव का समय आता है, अनओथोराईज्ड कॉलोनी के लोग याद आते हैं। ज्यों ही चुनाव खत्म होता है, वहां की समस्या सारे नेता भूल जाते हैं। हद तो तब हो गई जिसकी बात अभी हमारे बन्धू गण कर रहे थे कि 2008 में कांग्रेस सरकार ने एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया और कहा कि 1217 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को रेगूलराईज किया जाएगा। साथ में उन्होंने यह भी लिख दिया यह रेगूलराईज तब होगा "the provisional regularization certificate shall be subject to the surutiny of the requisite documents by the local body, DDA etc. etc." यानी एक सर्टिफिकेट था भी और नहीं भी था। जब मैंने इसकी बारीकी को देखा तो पता चला कि 2007 के रिवाईज्ड गाइडलाईन में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं थी, कोई आर्डर नहीं था। चूंकि चुनाव था तो पहले एक सर्टिफिकेट निकाल करके दे दिया गया। इतना बड़ा धोखा होता आया है आज तक अनओथोराईज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ और इसी का परिणाम है ''रहे न कुल में रोवन हारा''। जिन्होंने धोखा किया वो आज दिख नहीं रहे हैं। तो अनओथोराइज्ड कॉलोनी में जो रहने वाले लोग हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि क्या उनकी कॉलोनी कभी रेगूलराईज्ड होगा या नहीं होगी। वहां 895 कॉलोनियों की तो बात छोड़िए उसके बाद जो कॉलोनियां हैं, वो नरक बनी हुई हैं क्योंकि न तो पाईप लाईन है, न तो वहां

बिजली है, न तो वहां सड़क है, न गलियां हैं। जब कभी बारिश होती है, लोगों का निकलना दुर्लभ हो जाता है। जब मैं बारीकी से देख रहा था कि आज तक होता क्या रहा है। मैंने देखा 2004 में 2002 तक का अपडेट बनाया गया था और अनओथोराईज्ड कॉलोनी को रेगूलराईज्ड करने के लिए एप्लीकेशन लगाया गया। 1400 लगभग एप्लीकेशन आई थीं। उसमें कुछ खास नहीं हुआ। कुछ लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में प्रोपर गाईड लाईन्स की बात की। फिर 2007 में एक रिवाईज्ड गाईड लाईन आया और 2008 में फिर से एप्लीकेशन्स कॉल की गई। इसमें 1639 कॉलोनियों का एप्लीकेशन्स आया आरडब्ल्यूएज से। उसमें से पहले तो 1200 कुछ का प्रोविजनल आर्डर दिया गया। प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया। उसके बाद फिर 895 कॉलोनियों को रेगूलराईज किया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन किया गया। लेकिन जैसा मदन लाल जी बता रहे थे, उस 895 में भी 300 कुछ कॉलोनियां प्राईवेट लैंड पे थी बाकी कॉलोनियां पब्लिक लैंड पे थी। अब पब्लिक लैंड पे जो कॉलोनियां है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। बहुत भाग-दौड़ के बाद जब हम लोग पिछली बार 49 दिन की सरकार थी तो हमारे सीएम ने एक नोटिफिकेशन किया था, एक केबिनेट डिसिजन लिया था कि बाकी सभी कॉलोनियों को बाउण्ड्री कर दिया जाए, उसके बाद रेगूलराईज किया जाएगा। सरकार जाने के बाद हम सब लोग भाग-दौड़ करते रहे। एलजी से बहुत बार मिले उसके बाद 26.05.2014 को चार केटेगरी में सारी कॉलोनियों को बांटा गया। केटेगरी-वन, केटगरी-टू, केटेगरी-थ्री, केटेगरी-फोर। लेकिन उस केटेगरी में यह कहा गया था कि "please find enclosed herewith a copy of the notification regarding granting extension upto exist in 2015 to complete the regularization process of unauthorized colonies. लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर केन्द्र सरकार का एक गजट आया उस गजट में यह कहा गया

कि "in exercise of power conferred by section 57 of DDA, 1957, with the prior approval of Central Government by next following amendment, regulation एक एमेंडमेंट आई। उस एमेंडमेंट में कहा गया कि सारी अनआथोराईज कॉलोनीज को रेगूलराईज किया जाए और ये तब तक उसकी बाउण्ड्री तब तक रखा जाए जब तक कोई पालिसी formulation नहीं होता है। मैं कुछ कॉलोनीज का मेरे ख्याल से पांच-सात कॉलोनी की हमारी बात हो रही थी, उनके नक्शे भी बना दिये गए हैं और आगे की प्रक्रिया जारी है। लेकिन मेरा एक निवेदन है इसमें दो तरह की कॉलोनियां आती है, एक तो वो जो 895 में है, एक वो कॉलोनियां 895 के बाहर हैं। आज जो प्रयास हो रहा है फिर से उस 895 कॉलोनियों की हो रही है जहां बेसिक डेवलपमेंट है। फिर हम रेगूलेराईजेशन की बात करते हैं तो चाहिए क्या हमें हमें कुछ नहीं चाहिए। पहला की वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा लैंड का टाईटल होना चाहिए। क्योंकि आज तक अनओथोराईज्ड कॉलोनी की पालिसी की जहां तक जब बात आती है, इतना cumbersome पोलिसी बना दिया गया जिसके तहत कभी वो रेगूलराईज हो ही नहीं सकती। तो मेरा ये मानना है कि ये दोनों चीज मिल जाएं तो वहां की जनता खुश हो जाएगी। उनको बिजली, रोड, पानी होना चाहिए। साथ-साथ लैंड का टाइटल उनके पास होना चाहिए। ये कुछ व्यवस्था कर दें। लेकिन 895 के beyond जो कॉलोनियां हैं मुझे लगता है सख्त जरूरत पहले उसकी है। पहले उन कॉलोनियों पर आप प्रयास करें ताकि उन कॉलोनी, क्योंकि उसमें हम पैसा नहीं लगा सकते। मेरे यहां 895 कॉलोनियों में केवल 22 कॉलोनियां है बाकी 80 कॉलोनियां ऐसी है जहां मैं पैसा नहीं लगा सकता। लोग मुझे आकर कहते हैं भैया मैंने आपको वोट दिया था। वोट के समय तब अधिकृत थे, आज अधिकृत नहीं है। हम कुछ जवाब नहीं दे पाते। इसीलिए 895 के beyond जो

कॉलोनियां है पहले उस पे प्रयास होना चाहिए। कोई ऐसी आप नोटिफिकेशन कीजिए ताकि हम वहां पैसा लगा सकें और 895 के अन्दर भी जो है उसमें जब हम पैसा लगाने जाते हैं तो एरिया सर्वे का जो मैप है उससे कुछ कॉलोनी एक्सटेंड हो गई है और ये बहुत जरूरी है अभी हम कर सकते हैं उसको। अगर मैं मुकुंदपुर में एक बिहारी कॉलोनी है मैं example देता हूं आपको उस कॉलोनी में पैसा लगा रहा हूं अब तो उस कॉलोनी में दो सौ मीटर या चार सौ मीटर की सड़क है।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिये प्लीज। शार्ट करिये।

श्री संजीव झा : बहुत जरूरी मुद्दा है। सर और मैं आपके माध्यम से थोड़ा इसको कम्यूनिकेट करना चाहूंगा। क्योंकि अब दो गलियां हम नहीं बना सकते या दो सौ मीटर नहीं बना सकते। क्योंकि वह मैप में नहीं है Already हमें सारी कॉलोनियों को रेगूलराईज करना ही है। अगर वो दो सौ मीटर आज छूट जाएगा तो पता नहीं कब बना पाएंगे, चूंकि अभी बन रहा है। ऐसी कॉलोनी को बनाया जाना चाहिए। तो मेरा निवेदन है इस प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके, किया जाए। अनओथोराईज्ड कॉलोनी को रेगूलेराईज किया जाए। ताकि आज हमारे यहां ऐसी 17 कॉलोनियां जहां हम ट्रांसफर्मर नहीं लगा सकते। इस तपती गर्मी में वो लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। और पिछले दो साल हम भागते रहे और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम बेसिक इन्फरास्ट्रक्चर जो रोज जीने के लिए जरूरी है, उसकी व्यवस्था अर्जेन्टली की जाए। बाकी जो प्रक्रिया है रेगूलराईज करने की वो सब करते रहें। बस दो निवेदन पहला तो ये - रेगूलेराइजेशन की प्रोसेस शुरू की जाए और उसमें भी पहले पाईप लाईन और बिजली ये दो सबसे निहायत जरूरी चीजें हैं। रेगूलराईज

जब तक होता रहेगा ये दोनों व्यवस्था जल्दी की जाए। इसकी कोशिश हालांकि बहुत बड़ी कोशिश कपिल जी ने की है। 239 कॉलोनी का उन्होंने एक आर्डर निकाला है। 17 कॉलोनी हमारे यहां जहां मैं पाईप लाईन बिछा सकता हूं। इसी तरह से बिजली भी लग सके, ट्रासफरमर भी लग सके, उसकी व्यवस्था की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री एन.डी. शर्मा जी।

श्री एन.डी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जिस विधानसभा से आता हूं उसका 60 परसेंट के करीब हिस्सा अन्अथोराइज्ड़ कॉलोनियों का पड़ता है। जिस वक्त इन कॉलोनियों को बसाया जा रहा था, पूर्व की सरकार के नेता, बिल्डर माफिया, लैंड माफिया जब इसको बसा रहे थे उस वक्त ये प्रशासन क्या कर रहा था। आज जब गरीब आदमी ने 50 गज, 25 गज, 40 गज का वहां एक घरौंदा बना लिया है। उसमें रहने लगा है और जो उस घर में रहता है वो काउंसलर भी बनाता है अपनी वोट से, एमएलए भी बनाता है अपनी वोट से और एमपी भी बनाता है अपनी वोट से। यानि कि वो घर अन्अथोराइज्ड है उसका वोट अथोराइज्ड है। ये कैसे चलेगा जी। जिस घर में वो रहता है वो अन्अथोराईज्ड है, जिस कॉलोनी में वो रहता है वो अन्अथोराइज्ड है। उसकी वोट से एमएलए बनता है, काउंसलर बनता है, एमपी बनता है वो अथोराइज्ड कहां से हो जाता है? ये जन सुविधाएं जिनका अभाव वहां का आम आदमी भुगतता है। वो रोज उन चुने हुए प्रतिनिधियों को कहते हैं कि की जी हमने जो वोट आपको दिया था। ये सड़क, ये रोड, ये नाली, ये स्कूल इसके लिए कहां जाएं। मैं अपनी विधानसभा, मेरी विधानसभा बदरपुर है दिल्ली का बार्डर लगता है। पिछले 21

साल से दो नेताओं का शासन रहा। जनता ने जिस वक्त ये 67 विधायक इस दिल्ली को दिए, आम आदमी पार्टी में उस वक्त सबसे पहली बोनी बदरपुर की जनता ने की थी 47534 वोटों से जनता ने जिताया। ब्रिटिश काल का एक पुल है जो 60 परसेंट की आबादी जो नहर पार रहती है, एक नहर है जो ब्रिटिश शासन के टाइम पर किसानों के लिए निकाली थी। उस नहर पर एक पुल बना हुआ है जो करीबन 124 साल पुराना है। उससे होकर करीबन 4 लाख लोग डेली रोजी-रोटी कमाने के लिए निकलते हैं। ट्रैफिक बेहिसाब है उस क्षेत्र के अंदर। मेरी समझ में नहीं आता किस तरीके से 'ओ' ज़ोन लगाया है। वो कॉलोनी 40 या 50 साल पुरानी कॉलोनी है। एक विस्थापित गांव है जैतपुर। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस के बाद में सरदार वहां आकर बसे थे, वो गांव है काफी पुराना। उस वक्त वहां 'ओ' ज़ोन नहीं था। यमुना बिल्कुल गांव के किनारे से जाती थी। लाल किले के साथ भी यमुना जाती थी। उस वक्त 'ओ' ज़ोन नहीं था। आज 'ओ' ज़ोन है। उस क्षेत्र की यह व्यवस्था है कि एक परिवार मेरे पास आते है, एक परिवार में एक मकान है, छोटा सा मकान है। उसने अपने बच्चे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है कमरा बनाना है। वो कमरा बनाने के लिए रोड़ी, सीमेंट बाद में मंगाता है उससे पहले पुलिस वाले आ जाते हैं। वहीं पर बिल्डर है 5-5 माले की इमारतें बनाते हैं। अगर इसी तरीके से आम जनता को जिस तरीके से पहले की सरकारों ने गुमराह किया था। अब जनता की उम्मीद है, आस है और मुझे अपनी सरकार से उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से हमारे मंत्री, हमारे उपमुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी दिन-रात काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है हम आने वाले पांच साल में, जो 21 साल में या 93 से अब तक जो धोखा मिलता रहा है दिल्ली की जनता को, सिर्फ अभी बता रहे थे कि सिर्फ दूध देने वाली गाय अन्अथोराइज्ड

कॉलोनी को समझते रहे। अब वो नहीं होगा। मुझे उम्मीद है अपनी सरकार से और मुझे इस एसेम्बली से उम्मीद है कि अब जनता के अंदर भरोसा है कि ये विधायक, ये एसेम्बली, ये मुख्यमंत्री, ये उपमुख्यमंत्री ये हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और मेरी एक रिकवेस्ट है, मेरी विधानसभा के अंदर सिर्फ एक कनेक्टिविटी है रोड पर चढ़ने के लिए। 6 लाख लोग रहते हैं। 3 लाख के गरीब वोट...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी थोड़ा कनकलूड करिए, प्लीज।

श्री एन.डी. शर्मा : एक मिनट में कर रहा हूं, सर। एक कनेक्टिविटी है ओनली, रोड पर आने के लिए। डेली जाम लगा रहता है। अगर किसी को एटैक पड़ जाता है तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, किसी माता-बहन की डिलीवरी होनी होती है तो रास्ते में हो जाती है। इसके लिए हमारे यहां एक नहर है उस नहर पर पहले भी करीबन, काफी पहले एक रोड़ बनी थी। आज वो टूटी हुई है उसकी व्यवस्था यह है कि उस पर चल नहीं सकते। वह रोड़ ओखला विधानसभा और बदंरपुर विधानसभा होते हुए एक कालिंदी कुंज नोएडा निकल सकती है, निकली हुई है बशर्ते उसको बनाना है। उसको बनाने के लिए यू.पी. गर्वनमेंट से परमीशन लेनी होती है। मैं चाहता हूं मेरी विधानसभा के लिए इन कामों की थोड़ी सी प्राथमिकता रखी जाए और बाकी मुझे उम्मीद है, मैंने सीएम साहब से बात की है जल्दी ही ये काम होने वाले है लेकिन मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, इससे वहां की पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था लोकायुक्त, जो नेता विपक्ष की ओर से आया था। वो कितना गंभीर है हम इसे समझ सकते है

वो अब सदन में नहीं है, ये विषय छोड़ा जा रहा है। भावना गौड़ जी द्वारा इस चर्चा में जो विषय रखा गया है वर्ष 2014-15 जो एकेडेमिक इयर था उसमें 9वीं कक्षा का रिजल्ट बहुत खराब रहा है। उस पर चर्चा भावना गौड़ जी की ओर से।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सदन में अब तक जितने भी विषय उठाए गए हैं उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई चिंता वाला विषय है तो वो ये विषय है कि अभी 2014 और 2015 में 9वीं कक्षा के परिणाम आए और उसमें लगभग 27 परसेंट बच्चे विफल रहे हैं, नाकामयाब रहे हैं, फेल हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के ये चिंता करनी चाहिए और सबसे पहला विषय हमारा ये रहना चाहिए कि शिक्षा में इतनी गिरावट क्यों आई है। मुझे लगता है कि व्यक्ति के विकास के लिए और समग्र राष्ट्र के विकास के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है तो वो शिक्षा का विकास होना चाहिए। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता अध्यक्ष महोदय, कि शिक्षा पद्धति कहीं न कहीं अपने आप में दोषपूर्ण है। जब केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार थी तो बराक ओबामा दिल्ली आए। उस समय उन्होंने कहा कि मैं भारत की शिक्षा पद्धति और यहां के बालकों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। मुझे लगता है कि शायद ये बात कपिल सिब्बल जी को कहीं न कहीं ज्यादा पसंद आ गई और उन्होंने इस फार्मूले को अपना लिया। आजकल हमारे बालक केवल टेलीविजन, इंटरनेट और कंप्यूटर इन सब चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं कहूंगी कि ये सब चीजें कहीं न कहीं गलत नहीं है लेकिन इसके अलावा जो व्यक्तित्व का विकास करने में उनके शिक्षक, उनके स्कूल का प्रांगण ज्यादा काम आता था, उन सब चीजों से हमारे बालक कहीं न कहीं छूट गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, भारत की शिक्षा मूल्य पर आधारित शिक्षा रही है जिसमें प्रत्येक बालक का सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास होता रहा है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत का विशेष तौर पर महत्वपूर्ण अंग रहा है इसीलिए भारत विश्व गुरू के नाम से जाना गया है। अध्यक्ष महोदय, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राममूर्ति समिति, शिक्षा समिति के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, योजना आयोग के कोर ग्रुप इन सभी ने राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा की परिभाषा को कहीं न कहीं परिभाषित किया है आजकल के बालकों में देखा जाता है अनुशासन खत्म हो गया, वैल्युज खत्म हो गए, एथिक्स खत्म हो गए हैं। बच्चें हिंदी तक लिखना नहीं जानते और उसके साथ-साथ कंपीटीशन की भावना भी कहीं न कहीं खत्म हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले साल के बारे में आपसे बात करूंगी। पिछले साल 9वीं कक्षा में 12,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिए और उसमें से साढ़े चार हजार विद्यार्थी नाकायाब रहे, वो फेल हो गए। सीबीएससी ने यह तय किया और तय करके उन्होंने इन बालकों को तीन बार दुबारा से पेपर दिए उन बच्चों ने जो फेल हो गए थे, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि केवल ढाई हजार बच्चे उसमें से पास हो पाए और दो हजार बच्चे तीन बार एग्जाम देने के बाद में भी विफल रहे। अध्यक्ष महोदय, इंडियन एक्सप्रैस की एक न्यूज में मैंने पढ़ा था

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, कंकलूड करें जरा प्लीज, शॉर्ट करें।

सुश्री भावना गौड़ : जी। 2014 और 2015 में 13894 बच्चों ने परीक्षा दी थी। 3796 बच्चे यानि 27 प्रतिशत बच्चे उसमें विफल रहे हैं। उनको भी रिक्लियर करने का मौका दिया गया। सीबीएसएस 45 न. स्कूल है उसमें 379 बच्चे 9वीं कक्षा के एग्जाम के लिए बैठे, जिसमें 161 विद्यार्थी फेल हो गए।

सीबीएचएस-विकास नगर में 384 बच्चे एग्जाम में बैठे जिसमें 150 बच्चे फेल हुए हैं। मौली जागरण सीजीएसएस स्कूल में 323 बच्चों में से 127 विद्यार्थी फेल हो गए। सीबीएसएस सैक्टर-38 के स्कूल में 147 बच्चे बैठे और 127 बच्चे उसमें से नाकामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, यह सभी परिणाम चौंकाने वाले हैं। आठवीं कक्षा तक किसी बालक को फेल नहीं किया जायेगा। यह अपने आप में एक ही बहुत ही ऐसा फार्मूला है जिसने हमारे समाज को विकृत करके रख दिया है। उसके लिये हमें उचित निर्णय लेने होंगे और अपने आप में एक आदर्श हमें साबित करना होगा। तीसरी शिक्षा प्रणाली में अगर 33 प्रतिशत नम्बर हम लोगों के आते थे तो हमें लगता था कि

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, प्लीज जल्दी कीजिये। कम्पलीट करिये जल्दी।

सुश्री भावना गौड़ : मुझे एक बात कहनी है 8 मार्च को मनीष जी ने केन्द्रीय मानव संसाधन स्मृति ईरानी जी को एक पत्र लिखा और उन्होंने यह चिन्ता व्यक्त की कि शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं न कहीं गिरावट आ गई है। शिक्षा के गिरते, मानव सुनहरी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। शिक्षा के अधिकार नियम, में बहुत सारी कमियां हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव भी दिया कि जहां आठवीं कक्षा के प्रत्येक बालक को हम पास करेंगे, इस फार्मूले को बदलकर कहीं न कहीं तीसरी कक्षा तक सीमित कर देना चाहिये। आज के समय में न बच्चे पढ़ते हैं, न याद करते हैं। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा के विषय में विश्व में हमारा भारत शिक्षा के स्थान में 74वें नम्बर पर है। अध्यक्ष महोदय मैं एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, कम्पलीट करिये जल्दी प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ : अध्यक्ष महोदय यह केवल चिंता का विषय नहीं, चिन्तन का विषय भी है। जाने वाली पीढ़ी हमें बहुत कुछ सौंप करके गई है। लेकिन क्या हम आने वाली पीढ़ी को कुछ सौंप करके जायेंगे। यह बहुत बहुत भारी मात्रा में अपने आप में हमारे प्रतिनिधियों पर प्रश्नचिन्ह लगा है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय यह बहुत ही गम्भीर विषय है कि शिक्षा का स्तर जिस प्रकार से दिल्ली में पिछले वर्षों में गिरा है, यह बड़ा चिन्ता का विषय है क्योंकि शिक्षा किसी देश की बुनियादी मजबूती होती है जिससे एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण होता है। आज जिस प्रकार से 2009 के बाद पिछली सरकारों ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से शिक्षा पर ध्यान देना छोड़ दिया और दिल्ली की शिक्षा का यह हश्र हो गया कि आज पूरे देश में आठवें या दसवें नम्बर पर हमारी दिल्ली का स्थान आता है। क्या हो गया, जो दिल्ली अपनी शिक्षा के लिये पूरी दुनिया में जानी जाती थी, उसको किसकी नजर लग गई। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने शिक्षा मंत्री जी को। उन्होंने पिछले वर्षों में 49 दिनों में जो स्कूलों का सर्वे करवाया था, उस पर बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया लेकिन जो दूरबीन पीछे की सरकारों ने शिक्षा को दिखाया है, वह बहुत घोर निन्दा का विषय है। अभी भावना बहन बता रही थी कि सारी चीज बता दी उन्होंने किस प्रकार से 27 प्रतिशत बच्चे फेल हो गये। यह फेल होने के बाद हमारे स्कूलों की कैपिसिटी वही है। अब बच्चों को पढ़ाया कैसे जाये, एडमिशन के लिये बच्चे जा रहे हैं, आठवीं पास हो के, उस स्कूल के पास पहले से ही 27 बच्चे उसी क्लास में उपलब्ध हैं और उनके पास और

सारे लड़के आ रहे हैं। क्लासरूम Crowded होते जा रहे हैं जिससे गुणवत्ता और भी गिर रही है। हमारा निवेदन है कि कुछ क्लासों में कुछ कुछ सीटें और बढ़ायी जानी चाहिये और भी कक्षा बढ़ायी जानी चाहिये क्योंकि Classes नहीं हैं। कैसे भी शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, शार्ट करिये प्लीज।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : बता रहे हैं 2014 में बता ही दिया कि 13,894 बच्चे बैठे और 3,796 बच्चे फेल हो गये और फिर Re-Test हुआ और 1500 बच्चे फिर भी रह गये। जो पहले 33 प्रतिशत Passing Marks होता था, अब 25 प्रतिशत कर दिया गया है। तब भी आज स्थिति ऐसी है कि फिर भी बच्चे उसे पास नहीं कर पा रहे हैं। अभी पीछे मैं गया था शक्ति नगर नं॰ 01 स्कूल जो हमारे क्षेत्र में आता है वहां पर पता चला कि Accounts में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हैं। वहां का शिक्षक Accounts का जिसको पहले से ही नोटिस दिया जा चुका है, जिनको Accounts पढ़ाना नहीं आता फिर भी आज वो वहीं पड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे शिक्षकों का फिर से टेस्ट कराया जाये जिनको नोटिस दिया जा चुका है जिससे वो ऐसे विषय को पढ़ाते न रहें। मैं निवेदन करूंगा अपनी सरकार से कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये। कुछ Classes जरूर बढ़ायी जायें क्योंकि over crowded हो चुके हैं सारे क्लास। बहुत मुश्किल में सारे शिक्षक हैं। Admission नहीं हो पा रहे हैं, सारे बच्चों के इस पर ध्यान दिया जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : पंकज पुष्कर जी। शार्ट करियेगा पंकज जी।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। इस विषय पर मुझे

समय देने के लिये। मैंने स्वयं भी नियम 55 के अर्न्तगत इस पर अल्पकालिक चर्चा का अनुरोध किया था। फिर से अनुरोध करूंगा, यह विषय बहुत गम्भीर है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हमारे अधिकतर क्योंकि इसके अन्दर कुछ विशेष रूचि की, विशेष ध्यान की जरूरत है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अत: हमारे हाथों दिल्ली के किशोरों का, युवाओं का बहुत बड़ा अहित हो जायेगा, इसलिये गम्भीरता से इस विषय को लेने की आवश्यकता है। मैं इस पर समय सीमा के अन्दर बात रखने की कोशिश करूंगा। इस अनुरोध के साथ कि इस पर एक विशेष समिति बना कर इस पर विशेष चर्चा आवश्यक होगी, नियमित अध्ययन आवश्यक होगा। क्योंकि मैं अपने पूरे अनुरोध के साथ, विनय के साथ इस सदन में दर्ज करना चाहता हूं कि हम लगभग इस मामले में बच्चों को जिम्मेदार ठहराने की एक दृष्टि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम जो कि एक बहुत लम्बे जन संघर्ष के बाद पिछले 60 वर्ष के शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सोच विचार हुआ, उसके बाद शिक्षा अधिनियम प्रकाशमय है, उसके पीछे एक लम्बी साधना है, एक लम्बा संघर्ष है, क्या उसके पीछे पूरी सोच नहीं थी, उसको समझने की आवश्यकता है। उसके अनुपालन में कुछ कमियां हो सकती हैं। उससे भी बेहतर प्रस्ताव आ सकते हैं। लेकिन इसको और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ इसको करने की आवश्यकता है। मैं कुछ तंज उठाऊंगा कि पूरी चर्चा के, केन्द्र में बात यह है कि बहुत सारी बातें विस्तार में की जा सकती हैं लेकिन केन्द्र में बात यह है कि शायद कक्षा 9 में अगर भावना जी ने कहा 27 प्रतिशत मेरे पास आंकड़ा कुछ और ज्यादा का है, ठोस आंकड़ा अभी मुझे निदेशालय से मिला नहीं है। सीएम साहब को भी मैंने इस संबंध में पत्र लिखा लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन बहुत गम्भीर विषय है कि मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 45 प्रतिशत छात्र कक्षा 9 में

असफल हुए हैं। मैं केवल आपके सामने दर्ज करना चाहता हूं कि एक बहुत महान शिक्षक जॉन हाल्ट नाम के हुए जिनकी पुस्तक का नाम है 'How children Fail'। बच्चे असफल नहीं होते अगर एक बच्चा असफल होता है तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। 50 प्रतिशत बच्चे फेल होने लगे तो वे पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है। वे हमारी पूरी स्कूली व्यवस्था के ऊपर एक टिप्पणी है। इसमें गहराई में जाने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण के लिये आपको बता दूं शिक्षा अधिकार अधिनियम में केवल एकमात्र बात यह नहीं थी कि कक्षा 8 तक हम फेल नहीं करेंगे। कक्षा 8 तक No detention पॉलिसी थी यह उसके बहुत सारे प्रावधानों का केवल एक हिस्सा है। इसमें बहुत सारे और प्रावधान हैं जिसमें कि एक प्रावधान है। शिक्षक और छात्र का अनुपात। इससे पहले क्या होता है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात हम जिले के स्तर पर Calculate करते आये हैं जब जिले के स्तर पर होगा तो आप जानते हैं जिले के कुछ विद्यालय ऐसे होंगे जहां के शिक्षक रहना पसन्द करेंगे और कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो खाली पड़े रहेंगे। इस बात को दर्ज किया गया खेलने के लिए मैदान, पानी पीने की व्यवस्था, बालक और बालिकाओं के लिये अलग Toilet, शिक्षा को किस तरह से रूचिकर बनाया जाये, कैसे आनन्दपूर्ण बनाया जाये, यह बहुत गहरी चिन्तन के बाद बहुत लम्बे समय की अनुसंधान के बाद कुछ बातें संज्ञान में आईं। जिसको कि हमारे परिषद ने संज्ञान में ले के एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम निकाला उसके बाद ये पॉलिसी तय हुई कि हम कक्षा आठ तक किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। मैं यहां ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर कक्षा आठ तक कोई बच्चे फेल होते हैं जैसे कि हमारी तरफ से ये प्रस्ताव जाने को तैयार बैठा है कि हम कक्षा तीन तक इसको सीमित करें। मैं इसको औपचारिक रूप से निवेदन के साथ विनय के साथ कहना चाहूंगा ये

एक बहुत बड़ा शिक्षा विरोधी ये प्रस्ताव होगा। हम ये कहना चाहेंगे कि कक्षा तीन का बच्चा बाहर जाता है कक्षा पांच के समय उसको बाहर कर दिया जाता है तो बाहर जाने वाला बच्चा कौन होता है। मैंने एक बहुत खूबसूरत प्रस्ताव हमने सदन में पेश किया कि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको दिल्ली में सम्मानित नागरिक के रूप में दर्ज करना चाहते हैं। अभी तक जो दोयम दर्जा होता है, वे नहीं करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है। क्या हम उन झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहने वाले बच्चों का भविष्य सुंदर बने, उनको शिक्षा का अवसर मिले, अधिकार मिले के अंतर्गत शामिल मानते हैं या नहीं मानते हैं। केवल उनके सिर पर हम झोंपड़ी देना चाहते हैं। ये भविष्य का, उसके भविष्य को क्लोज कर देना चाहते हैं। वे शिक्षा के अधिकार के माध्यम से आयेगा और इसकी घोर अवहेलना पिछले साठ वर्ष की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसके माध्यम से होती रही है। मैं बहुत ही करबद्ध प्रार्थना ये करना चाहता हूं कि इस विषय को हम अपनी दलगत प्रतिबद्धता के साथ ना देखें, इसको हम एमसीडी बनाम दिल्ली सरकार की लड़ाई में ना बदलें। ये गहरा मानवीय संकट का मामला है। ये देश की आने वाली पीढ़ी का मामला है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेते हुये केवल चंद बातें दर्ज कर दूंगा क्योंकि विस्तार की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : पंकज जी आप कनक्लूड कीजिये प्लीज।

श्री पंकज पुष्कर : जी मैंने आपसे अनुमति लेकर ये बात कही कि इसमें जो विशेष आवश्यकतायें हैं कि 'No Detention Policy' को जिम्मेदार ठहराने की जगह जो शिक्षा अधिकार अधिनियम की मूल भावना है उसको हम समझें और उसको अमल में लाने की हर संभव कोशिश करें और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा जबर्दस्ती से नहीं करवाई जा सकती। शिक्षा के लिये

एक ऐसा शिक्षा शास्त्र चाहिये जो बच्चे से अपना संबंध बनाये। बच्चे से प्रेम करे। बच्चे से प्रेम करने का मतलब है कि जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो अधिकतर लड़कियां हैं, वो दलित हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली बच्चियां हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों से आने वाले बच्चे और बच्चियां हैं। अगर हम उनके प्रति एक संवेदनशील शैक्षिक परिवेश पैदा नहीं कर पाते, अगर हम उसके लिये अनुकूल शिक्षकों को ट्रैनिंग नहीं दे पाते, अगर हम उनके लिये अनुकूल पाठ्यक्रम नहीं बना पाते तो ये शिक्षा व्यवस्था के सरोकार के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के भागीदार के रूप में हमारी बहुत बड़ी असफलता होगी। मैं केवल अंतिम बात कहते हुये यहां पर दर्ज करना चाहता हूं कि कुछ मॉडल स्कूलों को बना देने, कुछ स्कूलों को बहुत अच्छा बना देने से समाज के अंदर पहले से जो गैर बराबरी है, दलित, आदिवासी अल्पसंख्यक और लड़कियों के प्रति जो एक पहले से गैर बराबरी का माहौल बना हुआ है, वह गैर बराबरी और बढ़ेगी वो हम जिस तरह के आदर्श समाज और दिल्ली को जिस तरह का पूरी दुनिया का सम्मानित न्याय पर आधारित शहर बनाना चाहते हैं उससे हम बहुत दूर चले जायेंगे और अंतिम बात केवल ये कि दरअसल मूल समस्या इस बात में है कि जो राज्यों की व्यवस्था में भागीदार लोग हैं जो शिक्षा व्यवस्था में भागीदार लोग हैं शिक्षक है वे एक उनका एक अलग वर्ग बन गया है। जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में जाना है उनका एक अलग वर्ग बन गया है। हम इस खाई को बढ़ाने की जगह दूर करने का सोचें और उसके लिये एक न्याय पर एक प्रेम पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था के बारे में गंभीरता से, गहनता से सोचना होगा। मैंने अपना जो पत्र औपचारिक रूप से निदेशक महोदय को लिखा, सीएम महोदय को लिखा, उसमें मैंने एक बहुत ही विनयपूर्वक प्रार्थना की कि मैं कोई समस्याओं की ओर संकेत नहीं कर रहा। हर चीज का समाधान है।

लोगों ने साधना की है, तपस्या की है, उसके कुछ परिणाम निकले हैं, उसको उपयुक्त अवसर दिया जाये। हम इसको राजनीतिक दलों की लड़ाई से ऊपर उठा के एक मानवीय सवाल की तरह देखें। बस यही मेरी प्रार्थना थी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण जी।

श्री प्रवीण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में विषय रखा गया है ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसके लिये मैं थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड से बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय हमने बचपन से ही एक श्लोक सुना था–

काक चेष्टा बको ध्यानं श्वान निद्रा तथैव च

स्वल्पहारी, गृहत्यागी विद्यार्थिन पंच लक्षणं

अध्यक्ष महोदय, ये जो श्लोक है, ये बचपन से हमारे जहन में बसा हुआ है लेकिन ये जो अभी जो स्थिति पैदा हुई है नाइन्थ के रिजल्ट की, इस स्थिति में आने से पहले हमें पहले ये सोचना होगा कि क्या हमारे सिस्टम क्या ये पांच लक्षण जो हैं, पांचों गुण जो हैं जो कि ये विद्यार्थियों में डेवलप करने चाहिये, क्या उसमें वह सक्षम है? ये सिस्टम सक्षम हैं कि वो इन लक्षणों को पैदा कर सकें, ये हमें सोचने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, एक बच्चा जो कि स्कूल एजूकेशन सिस्टम में आता है, उसकी उम्र करीबन साढ़े तीन साल की होती है। मां बाप और बच्चा भी साढ़े तीन साल की उम्र में अपने आपको इस सिस्टम के हवाले सौंप देता है और वो करीबन साढ़े तीन साल से 22 साल तक इस एजूकेशन सिस्टम में रहता है और 22 साल बाद जब वो निकलता है तो वो ये अपेक्षा करता है और उसकी अपेक्षा भी जायज है और समाज भी उससे अपेक्षा करता है कि वो पढ़ लिख

के एक अच्छा नागरिक बनेगा लेकिन 22 साल गुजारने के बाद क्या हम कानफिडेंस से कह सकते हैं, क्या ये सिस्टम कानफिडेंस से कह सकता है कि 22 साल गुजारने के बाद, तपने के बाद वो बच्चा कोई करप्शन नहीं करेगा, किसी भी गलत या संदिग्ध चीजों में लिप्त नहीं रहेगा। कभी चोरी नहीं करेगा, कभी डकैती नहीं करेगा इस चीज की गारंटी क्या ये सिस्टम दे पाता है? अगर ये सिस्टम नहीं दे पाता इस चीज की गारंटी तो कहीं –न– कहीं बहुत बड़ा फ्लॉ रह गया है, कहीं –न– कहीं बहुत बड़ी कमी रह गई है कि अगर एजूकेशन सिस्टम एक बच्चे को अगर एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छा इंसान नहीं बना पाया तो कहीं –न– कहीं बहुत बड़ा फ्लॉ रह गया है, जिसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के लिये एजूकेशन सिस्टम एक बेस होता है। अगर नींव ही कमजोर रहेगी तो उस पर बिल्डिंग कभी नहीं बन पायेगी। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे देश का एजूकेशन सिस्टम और स्पेशली पहली से लेकर बारहवीं तक या नर्सरी से लेकर बारहवीं तक जो बेस बनाने का समय होता है, अगर वही कमजोर रह गया तो कभी भी जो हम अपेक्षा करते हैं, जो समाज अपेक्षा करता है जो सिस्टम अपेक्षा करता है एक बच्चे से जो 22 साल पढ़ने के बाद निकलेगा, वह अपेक्षा कहीं –न– कहीं अधूरी रह जाती है। तो अध्यक्ष महोदय, एक और बात बहुत अहम है कि अगर एजुकेशन सिस्टम सही तरीके से काम कर जाये और एक बच्चे को 22 साल तक इतना निपुण कर दे कि वह एक अच्छा इंसान बनने के लिये तैयार हो जाये तो कई सारे डिपार्टमेंट बंद करने पड़ जायेंगे, आपको पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एजुकेशन सिस्टम ने अपना काम सही करना शुरू कर दिया तो।

अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पूरे निदेशालय का भी, शिक्षा मंत्री जी का भी कि बीते कुछ दिनों में, इतने शार्ट स्पैन में उन्होंने ऐसी बड़ी-बड़ी चीजें की हैं कि शिक्षा को इतनी गंभीरता से लिया है कि आज के समय में, कुछ दिन पहले का आपसे एक वाकया शेयर कर लेता हूं। कुछ दिन पहले अलका लांबा जी और मैं एलजी साहब से मिलने गये थे कुछ ऐसे ही अपने क्षेत्र के डीडीए का ईशू था उस रिगार्डिंग हम मिलने गये थे। एलजी साहब ने भी ये कहा कि Manish is doing a remarkeble job in education. तो अध्यक्ष महोदय, भले ही टीवी पर या पब्लिक में कोई कुछ भी कहे। बीजेपी वाले कुछ भी कहें लेकिन सबको ये बात पता है कि अगर कोई चेंज ला सकता है तो वो सही पार्टी है, यही सरकार है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों मौजूद थे एक ओपन समिट प्रिंसिपल की बुलाई गई थी, उस समिट में मैं भी मौजूद था। उस समिट में सारे दिल्ली के प्रिंसिपल बुलाये गये थे। प्रिंसीपल से ओपन संवाद हुआ था और उन्हें ओपन चैलेंज और ओपन बात कही गई थी कि आपको स्कूल सुधारने के लिये क्या क्या चाहिये। वह आप बताइये और जो आपकी कमी है वो सारी कमी पूरी करने के लिये हम तैयार हैं। तो ये जो मॉडल स्कूल हैं इसका कान्सेप्ट यहां से डिनाय हुआ है कि ये माडल स्कूल सिर्फ 40 या 50 स्कूलों तक सीमित नहीं हैं, यह मॉडल स्कूल पूरी दिल्ली तक सीमित हैं। बशर्ते हमें ये डेवलेप करना पड़ेगा, हमें सिस्टम में ये डेवलेप करना पड़ेगा कि प्रिंसीपल और पूरा सिस्टम इस चीज के लिये तैयार हो कि मॉडल सिस्टम को अपना सकें। इस चीज के लिये तैयार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रवीण जी, कनक्लूड कीजिए प्लीज।

श्री प्रवीण कुमार : अभी तक 20 nominations आ चुके हैं जिसमें से 50 के लिए मॉडल स्कूल की तैयारी शुरू कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, एक 'No Detention Policy' जो कि बहुत चर्चित है, 'No Detention Policy' में कुछ ऐसी चीजें जोड़ी गई हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व पार्टी के सदस्य भी थे, वो एक बार Foreign गए थे तो ऐसा कोई कनसेप्ट रेज किया और उस कनसेप्ट को लाकर अपनी शिक्षा व्यवस्था में इम्प्लिमेंट किया लेकिन उस पूरी पॉलिसी में इतना बड़ा फ्लॉ है जिसका फ्लॉ आज हम देखना चाह रहे हैं और यह प्रश्न जो उठा है वो इसी कारण से उठा है, जो हमारा पूरा सिस्टम है वो एग्जामिनेशन बेस्ड है। आप किसी परीक्षा में भी जाइये तो भी आपको एग्जाम देना पड़ता है। पूरा सिस्टम एग्जामिनेशन बेस्ड है और कहीं न कहीं फ्लॉ यह रह गया है कि आप अगर बच्चे को आठवीं तक पास न करें तो अनसीरियसनेस की भावना जागृत हो गई है बच्चों में जो कि बहुत चिंता का विषय है तो जो यह इशु यहां पर भावना जी ने उठाया है, यह बहुत गम्भीर इशु है और जिस तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से स्मृति ईरानी जी को चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि 'No Detention Policy' जो है वो तीसरी तक होनी चाहिए तो इसका यही एक सोल्यूशन है, मुझे लगता है ताकि यह rate down आ सके। शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : अंतिम विषय आज का है 'Discussion on conversion charges' श्री एस.के. बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गा : अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने

मुझे अल्पकालिक चर्चा पर सदन में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नगर निगम द्वारा कनवर्जन चार्जेज लगाये जाने पर उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा। 1962 के मास्टर प्लान में कुछ इलाकों को कमर्शियल गतिविधियों की सुविधा मिली हुई थी जिन पर कनवर्जन चार्जेज जमा नहीं होना था। एक ये 25.03.2008 का अखबार बता रहा है इसमें विजेन्द्र गुप्ता जी स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, 1962 के मास्टर प्लान में जो यह छूट थी अब भी है। दिल्ली नगर निगम ने यह साफ किया है कि 1962 के मास्टर प्लान में जिन इलाकों को कमर्शियल गतिविधियों की सुविधा मिली हुई थी, उन्हें किसी तरह का कनवर्जन चार्ज जमा नहीं कराना, उन्हें पार्किंग फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है। एमसीडी की स्टेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी ने बताया 1962 के मास्टर प्लान में जिन इलाकों में कमर्शियल गतिविधियां करने की छूट मिली हुई थी उन्हें अब भी छूट हासिल है। ऐसे लोगों को किसी तरह भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। उस अखबार का मेरे पास प्रूफ है 19.01.2015 को एक आरटीआई लगाई गई मिस्टर रवि बंसल के द्वारा। उसका जवाब आया कि "Commercial activities existing prior to 1962 subject to documentary proof but they are liable to pay applicable conversion charges" देखिये कैसे ये लोग जबर्दस्ती कनवर्जन चार्जेज व पार्किंग चार्जेज वसूल रहे हैं और लोगों के premises seal भी कर रहे हैं। सीलिंग के बहाने डरा कर दिल्ली की भोली-भाली जनता से कनवर्जन चार्जेज वसूला जा रहा है, जो कि इल्लीगल है। ये किसी भी कानून को नहीं मानते, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं समझते। इससे सारी दिल्ली में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। भोली-भाली जनता से टैक्स वसूल कर वेफिजूली खर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने एमसीडी को सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए

पैसे दिए हैं, हमारी सरकार व मुख्यमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के दु:ख को जाना है उन्होंने वेतन के लिए पैसे दिए व मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम जी का इस सदन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे बधाई के पात्र है। उत्तरी नगर निगम को देखो बजट में सफाई कर्मचारियों के वेतन को काट कर स्वीमिंग पूल बना रहे हैं। एमसीडी को शर्म आनी चाहिए कि सफाई कर्मचारियों का वेतन न देकर पैसे का उचित इस्तेमाल नहीं कर रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं एमसीडी के तीनों कमिश्नर को बुलाकर, विधान सभा में बुलायें और उनकी गुंडागर्दी से भोली-भाली जनता को राहत दिलायें। सदन के माध्यम से पता लगाये कि हम लोग पब्लिक के लिए बोल रहे हैं और कनवर्जन चार्जेज के बारे में उनको राहत दिलायें। धन्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश ऋषि जी। बहुत शोर्ट रखिये राजेश ऋषि जी प्लीज।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी जैसा बग्गा जी ने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है कनवर्जन चार्जेज का, मैं भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए जमीनें दी गई हैं, जहां पर हमारा उद्योग चल रहा है और हजारों की तादाद में हमारे लोग वहां पर employed है। कनवर्जन चार्जेज लेकर वहां पर बैंक्वेट हॉल बनवाए जा रहे हैं, होटल बनवाए जा रहे हैं, उसको कमर्शियल तौर पर यूज किया जा रहा है। यह होना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमारे बहुत से भाई जो वहां नौकरियां कर रहे थे, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है और बड़े-बड़े बैंक्वेट हॉल वहां बन चुके हैं। एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लाल डोरे

की जमीन और जो देहात की जमीन है, वहां पर बिना किसी को बताये हुए कनवर्जन चार्जेज के नाम पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, उनको बंद करवा देते हैं। वहां पर छोटी-छोटी दुकानें खुली है, उनको जाकर सील करने की धमकी देते हैं। यह एमसीडी के द्वारा वहां पर गलत तरीके से वसूली की जा रही है। यह मेरा मानना है कि वहां पर एक गलत तरीका हो रहा है। इसको रोका जाये। कनवर्जन चार्जेज के नाम पर एमसीडी किसी को भी नोटिस दे देती है और वहां जाकर उनसे किस तरीके से वे लोग व्यवहार करते हैं उनको बिना नोटिस दिए हुए, कई को बिना नोटिस दिए हुए सील कर दिया जाता है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि इसके ऊपर रोक लगाई जाये और इसकी पूरे तरीके से जांच की जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी।

सुश्री सरिता सिंह : धन्यवाद स्पीकर महोदय, सबसे पहले मैं बग्गा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतने इम्पोर्टेंट इशू को आज उठाया। जिस क्षेत्र से मैं आती हूं रोहताश नगर वहां यमुनापार की सबसे बड़ी मार्किट है मंडोली रोड, टिम्बर मार्किट, छोटा बाजार, बाबरपुर मार्किट और आये दिन जब मैं वहां व्यापारियों से मिलती हूं, व्यापारी अपने आपको गुनाहगार मान रहा है। आज दिल्ली का व्यापारी अपने आपको गुनाहगार मान रहा है। बहुत दु:खी हैं वे लोग। वे कहते हैं कि हम प्रोपर्टी टैक्स देते हैं, हम हाउस टैक्स देते हैं, हम कनवर्जन टैक्स देते हैं, हम पार्किंग टैक्स देते हैं हम सब कुछ देते हैं पर उसके बदले दिल्ली के व्यापारियों को क्या मिल रहा है। दिल्ली के व्यापारियों को आज उनकी मूलभूत सुविधायें भी नहीं मिल रही हैं। जितनी भी मेरी इनफोरमेशन है 1962 से पहले जो भी मार्किट्स थी, जो भी व्यापारी थे, उनके ऊपर

कनवर्जन टैक्स नहीं लगना था, जितनी भी रिसैटलमेंट कॉलोनीज थी, उन पर कोई कनवर्जन टैक्स नहीं लगना था, जितने भी लालडोरे थे उसमें कोई कनवर्जन टैक्स नहीं लगता था पर आज एमसीडी की हद हो गई है केवल 20 मार्किट ऐसी थी आइडेंटिफाइड बड़े-बड़े दिल्ली के, 20 मंडियां थी जहां पर कोई कनवर्जन टैक्स नहीं लगना था और आज यह हद हो गई है कि एमसीडी वाले जब उनके बैंक में पैसे की कमी हो जाती है, जब उनकी वसूली कहीं और से बंद हो जाती है तो वे अपना बोरिया बिस्तर बांध कर व्यापारियों के पास पहुंचते हैं और उनकी दुकानों को सील करना शुरू कर देते हैं कि अब आप कनवर्जन टैक्स नहीं दोगे तो आपकी दुकानें सील होंगी। यह जो एमसीडी गुंडाराज हमारे व्यापारी भाइयों के ऊपर कर रही है इसे कहीं न कहीं हमें रोक लगाना होगा। कनवर्जन टैक्स का मतलब क्या था, मतलब यह था कि अगर मेरी कोई रिहायशी प्रोपर्टी है, मैं उसको कनवर्ट कराकर उसको कमर्शियल करना चाहता हूं तो मैं उसकी कनवर्जन फीस दूंगा। इसके लिए यह तय किया गया था कि आठ साल के लिए एकमुश्त एमाउंट दी जाएगी और जो व्यक्ति आठ साल में नहीं दे सकता, वे एक-एक साल में देकर अपना एमाउंट इंट्रेस्ट सहित दस या ग्यारह साल में उसको पूरा कर दें। पर होता क्या है कि वे कनवर्जन का एमाउंट उसे पूरी जिंदगी भर उस पर व्यापारी को देना पड़ता है तो आज दिल्ली का व्यापारी इस चीज से बहुत दुखी है कनवर्जन टैक्स की जो बेफिजूली की उगाही एमसीडी द्वारा की जा रही है, दिल्ली के व्यापारी उससे बहुत दु:खी है। केवल रोहताश नगर की मैं बात करूं। वहां पर व्यापारियों से 1330 रुपये प्रति मीटर पार्किंग चार्जेज लिए जाते हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगी अध्यक्ष महोदय कि आप मेरे क्षेत्र का मुआयना करवाइये आज तक वहां के लोगों को कोई पार्किंग नहीं मिली तो एमसीडी से यह सवाल करती हूं मैं कि वह पैसा कहां गया, किसके एकाउंट

में गया, जो कनवर्जन टैक्स, पार्किंग टैक्स के रूप में उन्होंने व्यापारियों से लिया आप अपने एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पाते पर हाउस टैक्स लेने आप टाइम से पहुंच जाते हैं, कनवर्जन टैक्स लेने आप टाइम से पहुंच जाते हैं। कनवर्जन टैक्स न देने पर जबरन सील की धमकी देते हैं और जब कोई छोटा-मोटा व्यापारी अपना घर चलाने के लिए काम कर रहा है, जबर्दस्ती उसकी दुकान को बंद कराने की धमकी देते हैं। यह जो गुंडाराज एमसीडी दिल्ली में कर रही है, इसको रोकने की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इसको अपने संज्ञान में लीजिए जितने भी मेयर हैं, स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं उन सब को बुलाइये कि कनवर्जन टैक्स का जो भी रूल है उसको एप्लाई अगर करना है तो उसको तरीके से किया जाये। जो व्यापारियों को लूट कर दिल्ली चलाने की कोशिश की जा रही है, वो जो पैसा लिया जा रहा है उस पैसे की एकाउंटबिलिटी कहां है, किस फाईल में एकाउंटबिलिटी है वो इस सदन के सामने दिया जाये, उस पैसे का पूरा का पूरा ब्यौरा यहां पर दिया जाये, जो सारे टैक्सेस के थ्रू एमसीडी ले रही है। बस यही मेरा मूलभूत सवाल है। आज दिल्ली के व्यापारी बहुत दु:खी है, दिल्ली के व्यापारी ईमानदारी से कमाना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहते हैं पर कहीं न कहीं इस लूट तंत्र की वजह से आज सारे के सारे व्यापारी दु:खी है और हम सब यहां जितने लोग मौजूद है, हम इस चीज को फील करते हैं कि अगर हम उन्हें एक अच्छा सिस्टम नहीं दे पाये तो वे बेचारे जायेंगे कहां? तो इसीलिये आज सदन के सामने एक मूलभूत सवाल है इसको जरूर अपने संज्ञान में लाइये और इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करके उन पर आदेश दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद सरिता जी। ये तीन अल्पकालिक विषय की चर्चा पूर्ण हुई। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन पर वे अपना उत्तर दें।

उप मुख्यमंत्री : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा सबसे अंत में उठाया गया कनवर्जन चार्जेज वो वास्तव में बहुत गम्भीर विषय है और हम भी जहां जाते हैं कॉलोनीज में, कहीं दौरा करने जाते हैं या किसी अन्य कार्यक्रम में व्यापारियों के बीच में या बाजार में जायें, हर जगह व्यापारियों की एक बहुत बड़ी पीड़ा है, दिल्ली के दुकानदारों की उनसे कनवर्जन चार्जेज ले लिए गए, पार्किंग के नाम पर चार्जेज ले लिए गए तो यह जो बार-बार उठता है कि नगर निगम को सरकार पैसे नहीं दे रही, हकीकत उसकी यही है कि नगर निगम का हमारा पूरा तंत्र अस्त-व्यस्त पड़ा है, ऐसा लग रहा है कनवर्जन चार्जेज के नाम पर जो पैसा इकट्ठा होता है, वो कहां जाता है, पार्किंग चार्जेज के नाम पर अगर पार्किंग देने की व्यवस्था ही नहीं है या स्थितियां ही नहीं है तो कम से कम व्यापारियों से पार्किंग चार्ज के नाम पर proxy वसूली तो न हो, किसी और नाम पर ले लो। किसी जायज नाम पर ले लो, जो सुविधा वहां दे सके। टैक्स लो, टैक्स लेना किसने मना किया है। मैं कल भी कह रहा था बार-बार कि यही वो विजन है जो इस वक्त नगर निगम को चला रही पार्टी के पास नहीं दिख रहा है कि नगर निगम को चलाया कैसे जाये और वो बार-बार यहां जो रिफलेक्ट हो रहा है जनता के बीच में जाइये, वहां रिफलेक्ट हो रहा है जनता के बीच में जाइये वहां रिफलेक्ट हो रहा है सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही हम उनसे बार-बार कहते हैं कि भाई चलिये मान लीजिए आपको जितना पैसा देते हैं उससे और ज्यादा दे दिया, मान लीजिए आप कुछ मांगते हैं, उससे दुगुना भी दे दिया लेकिन बाकी का कहां से लाओगे। 12 महीने की तनख्वाह कहां से लाओगे, चार महीने की हम दे देंगे, दस महीने की हम दे देंगे, आठ महीने की या तो फिर नगर निगम की पाई-पाई दिल्ली सरकार दें चाहे वो स्कूल हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेनिटेशन सारी कुछ दें और मैंने कल भी इंगित किया था इसकी ओर कि बड़ी अजीब स्थिति है। सदन इस मुद्दे पर दो दिन

विशेष रूप से चर्चा भी कर चुका है कि वहां नगर निगम में कोई कर्मचारी काम न करें, हड़ताल करें, उसकी तनख्वाह न मिले तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की जिम्मेदारी, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। योजनायें बनायेंगे, चलायेंगे, नगर निगम को हम चलायेंगे, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हम करेंगे, उनके ऊपर आधिपत्य हम जमायेंगे ये सब दूसरी पार्टियां करेंगी दिल्ली सरकार को नहीं करने देंगे, केन्द्र सरकार करेगी तो यह जो विरोधाभास है, कोई बात नहीं, दिल्ली की जनता ने एक बहुत बड़ा फैसला लेकर भेजा है आम आदमी पार्टी को यहां पर, इन विरोधाभासों को भी दूर करेंगे, यही हमारी चुनौती है। इसमें हमें कोई शंका नहीं है कि इनको दूर करेंगे।

दूसरा मुद्दा अनअथोराइज्ड कॉलोनीज का उठा। अध्यक्ष महोदय, अनअथोराइज्ड कॉलोनीज आम आदमी पार्टी सरकार के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है और कई साथियों ने इस पर बहुत विस्तृत अपनी बात रखी कि क्यों बस गई, कैसे बस गई। पहली बात तो मुझे इस पर ही ऑब्जेक्शन है कि इनको कनवेन्शनली हम लोग अनअथोराइज्ड कॉलोनीज कहते हैं। अनअथोराइज्ड कहते ही ऐसा लगता है कि जैसे कल मैंने झुग्गी में रहने वाले नागरिकों के बारे में कहा था कि दोयम दर्जे के नागरिक समझा जाता है। ऐसा लगता है कि अनअथोराइज्ड कॉलोनी कहते ही लोग अनअथोराइज्ड हो गये। वो इररेग्युलर हैं, आपका सिस्टम उनको रेग्युलर नहीं कर पा रहा, वहां उसको रेग्युलर करने के लिए जो-जो कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं और अनअथोराइज्ड कालोनीज की जो मेरी समझ है उसके हिसाब से लोगों को, जो संजीव भाई ने कहा प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं चाहिये। प्रोविजनल सर्टिफिकेट किसी घर में रखी हुई किसी पुरानी फाइल में लगाने से काम नहीं चलता। उससे मकान का नक्शा पास नहीं होता। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेरे घर में रखा रहे और मैं मकान बनाने

लगूं तो नगर निगम वाले आकर पैसा ले जाते हैं जैसा कि यहां पर कहा कि रजिस्ट्री नहीं होती मकान की, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेरे घर में रखा रहे। मेरे घर में प्रोविजनल सर्टिफिकेट भले ही रखा हो लेकिन मैं अपना मकान बनवाना चाहूं और मैप बनवाना चाहूं, मैप पास कराना चाहूं, नक्शा पास कराना चाहूं तो नक्शा पास नहीं होता। लोगों को तो यह चाहिये, नक्शा पास कराना है अपने मकान का, उनको रजिस्ट्री करानी है, उनको अपने मकान पर लोन लेने की स्थितियां लानी हैं, वो नहीं मिल रहा है। 15-20 साल से, जब से 21 साल से शायद इन्होंने जिक्र किया, 21 साल से यही चल रहा है एक सर्टिफिकेट मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार बहुत गम्भीरता से इस दिशा में काम कर रही है और कुछ कॉलोनीज को हमने चिन्हित करके, क्योंकि सोल्यूशन इसमें है कि रजिस्ट्री कैसे शुरू हो, लोन कैसे मिलने लगे, लोगों को अपने मकान पर, कोई मकान खरीदना चाहे तो, उस पर लोन कैसे मिले। मैप कैसे पास हो, अगर कोई बनवाना चाहता है मकान में कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। सर्टिफिकेट भले ही चार महीने बाद लोगों के घर पहुंच जाएगा, लेकिन पहले ये काम तो शुरू हों। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम कुछ पायलट कॉलोनीज पर क्योंकि पूरी प्रोसेस डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही है। अधिकारियों को जो जूनियर लेवल पर अधिकारी है जिनको मैप बनाकर देना है, कॉलोनी का मैप बनाकर देना है, उनको और अधिकार और सुविधायें देने की प्रोसेस तो वो सारी प्रोसेस, उस पर लगे हुए हैं, एजेंसीज हायर की हुई हैं, बहुत जल्द हम कुछ कॉलोनीज में जिनको हम पायलट कॉलोनीज लेकर चल रहे हैं प्रोसेस के प्वाइंट ऑफ व्यू से उनमें हम रजिस्ट्री कराने का काम शुरू कर देंगे, उनका नक्शा बनाकर, कॉलोनी का

नक्शा बनाकर चिन्हित करके हम नगर निगम को दे देंगे और उम्मीद करेंगे कि भाजपा के साथी भी यहां नहीं है, असहयोग पर है लेकिन अगर नगर निगम में जायेगा तो वो भी उतनी ही तत्परता से अनअथोराइज्ड कॉलोनीज को नगर निगम से उनका ले-आउट प्लान अप्रूव कराने की और फिर डीडीए से जहां केन्द्र सरकार के अधीन आता है, वहां से उसके लैंड यूज चेंज हो। अगर जरूरत पड़े तो उसमें मदद करेंगे। लेकिन सरकार पूरी गम्भीरता से काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा मुद्दा भावना जी ने उठाया महत्वपूर्ण है। अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कैसा हिन्दुस्तान खड़ा कर रहे हैं, ये शायद यहां विधान सभा में भी तय नहीं होता जितना क्लास रूम में तय होता है। इस विधान सभा की अपनी गरिमा है। पर कल के हिन्दुस्तान का बीज यहां डाला जा रहा है। हम कह सकते हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा क्लास रूम में डाला जा रहा है। वहां अगर ये स्थितियां हैं जो हमारे साथियों ने कही हैं। मैं स्वीकार करता हैं, भविष्य बहुत अंधकार में है। भावना जी ने जो मूल मुद्दा उठाया उनका आशय जहां तक मैं समझा हूं की नवीं कक्षा में बड़ी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो रही हैं सवाल ये नहीं है 'No Detention Policy' रहे या ना रहे। सवाल ये है कि नवीं कक्षा में जहां आ के 'No Detention Policy' RTE के तहत लागू की गई, वजूद में नहीं है। वहां जो बच्चे फेल हो गये और जो बच्चे पिछले साल यानी जो बच्चे 8वीं पास करके 9वीं कक्षा में पहुंचे और जो बच्चे अचानक 'No Detention Policy' के कारण अगली क्लास में आये और फेल हो गये, अब वहां क्या किया जाये, वहां ना हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके लिये कम से कम विजेन्द्र गुप्ता जी यहां पर होते तो वे बताते हालांकि वे यहां पर नहीं हैं, पर इसमें हमने कम से कम 4 महीने में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ा है, बनाया नहीं गया अभी तक या बना

नहीं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर न बन जाये, जब तक नवीं कक्षा और उसके आगे की classroom में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना कर लिया जाये तब तक 'No Detention Policy' के कारण ये समस्या तो बनी रहेगी जो भावना जी ने जिक्र किया है और वो हकीकत में वो स्वीकारना चाहिए। वो डेटा हमारे पास है, थोड़ा सा डेटा मेरे पास में है 2014-15 में ही बड़ा interesting data है अध्यक्ष महोदय, 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15 का डेटा मेरे हाथ में है अभी। क्लास 6th में जितने बच्चे, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डेटा का भाषण नहीं है, क्लास 6th में जितने बच्चे appear हुए exams फिर भी होता है। 'No Detention Policy' के बावजूद भी उनमें से 83.9 मान लीजिए 84 प्रतिशत बच्चे पास हुए वो सहज गति से अगली क्लास में आगे गये। 2011-12 का डेटा 84 प्रतिशत बच्चे सहजता से पास हुए और लगभग 16 परसैंट बच्चों को 'No Detention Policy' के तहत ग्रेस देके उनको कहा गया 'No Detention Policy' है चलो आप भी next क्लास में चले जाओ, ये 2011-12 का आंकड़ा था। 2012-13 में आया तो ये संख्या 80 परसैंट हो गई 80 परसैंट बच्चे सहजता से पास हुए और 20 परसैंट बच्चों को लगभग-लगभग 'No Detention Policy' के तहत आगे भेजा गया। 2013-14 में आया तो डेटा और चिंताजनक है केवल 57 परसैंट बच्चे पास हुए बाकि के लगभग 43 परसैंट बच्चों को 'No Detention Policy' के तहत अगली क्लास में भेजा गया। 2014-15 में 63 परसैंट बच्चे पास हुए ये क्लास 6th का है बाकि 'No Detention Policy'। 7th में 2011-12 में इसलिए मैं कह रहा हूं nitty gritty में डेटा मिलेंगे इसलिए मैं round off करके बता हूं कक्षा सात में 2011-12 में 85 परसैंट बच्चे पास हुए थे। सहजता से और बाकि 'No De-

tention Policy' के तहत आगे भेजे गये। अगले साल ये आंकड़ा 82 परसैंट था उससे अगले साल ये आंकड़ा 58 परसैंट था 2011-12 में कक्षा आठ में देखें तो 87 परसैंट, उससे अगले साल 85 परसैंट उससे अगले साल 61 परसैंट। ये वो आंकड़े हैं जो सहजता से पास होने में व examination से पास होने में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये डेटा रखते हुए एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मैं 'No Detenation Policy' का कतई विरोधी नहीं हूं, ना सरकार विरोध में है। हमें लगता है कि 'No Detention Policy' एक बहुत अच्छा आइडिया है। शिक्षा में अगर बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने हैं, और अगर हमें क्लास रूम्स में देश का निर्माण करना है, जैसा कि हम सोचते हैं तो 'No Detention Policy' जैसी और भी बहुत सारी policies लागू करनी पड़ेगी। पर हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे लागू करें एक मॉडल उदाहरण के तौर पर मैं अपने साथियों के सामने रखना चाहता हूं जैसे कोई गाड़ी है अब अचानक हमें लगे कि ये डीजल या पैट्रोल की गाड़ी है, ये तो पोलूशन फैलाती है, अब शहर में पोलूशन इसमें ही नहीं एक उदाहरण के लिए 'No Detention Policy' अचानक लागू करने से नुकसान क्या हो रहा है, उसमें नुकसान कैसे हो रहा है, उसको समझने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि डीजल की गाड़ी या पैट्रोल की गाड़ी चल रही थी। खूब धुआं निकलता था किसी समझदार व्यक्ति ने समझाया कि अगर इसमें सीएनजी लगवा लो तो धुंआ नहीं फैलाएगी अब बिना उसकी इंजीनियरिंग को समझे बिना उसकी टैक्नोलोजी को समझे बिना उसमें टैक्नीकल चेंज किये उसमें गैस डाल दी किसी ने अब पैट्रोल से चलने वाली गाड़ी उसी इंजिन में, उसी गाड़ी में अगर गैस डालने की कोशिश करेंगे तो चलेगी नहीं। लेकिन पैट्रोल से चलने वाली गाड़ी में अगर डीजल से चलाने की कोशिश करता है तो नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय समाज की भी अपनी इंजीनियरिंग है, क्लास रूम्स की

अपनी इंजीनियरिंग है टैक्नोलोजी है, इसको भी समझना पड़ेगा। हम एक और उदाहरण से मैं चाहता हूं समझें क्योंकि ये मुद्दा उठा और बड़ी गम्भीरता के साथ उठा और मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो। मैं ख्वाब देखता हूं कि हमारे तीन साथी जो यहां नहीं बैठे हैं, मैं चाहता हूं वे भी एक दिन हों और इसी गम्भीरता से बात-चीत में शामिल हों और solutions निकालें जो हम सोचते हैं, जो वो सोचते हैं और जो बाकी सदस्य सोचते हैं। शायद ये बहुत अच्छी बात है कि पक्ष और विपक्ष सभी लोग जो भी किसी चीज के अलग-अलग आयाम हैं, वो खुले से रखते हैं, बिना लकीरों के बोलें, ना कि हम तो पक्ष में हैं हमारे मंत्री ऐसा बोले, ना हम तो ऐसा ना बोलें कोई बाउंड्री नहीं है। सभी अपनी बात रखें तभी हम समाधान निकाल पाएंगे। इसलिए एक दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार बाढ़ आ गई। एक आदमी बाढ़ में डूब रहा है वो कहता है बचाओ। इसपर हम जायें और बताएं कि हमने कहा था नदी के किनारे घर मत बनाओ और ये जोन ऐसी जगह पर है जहां बाढ़ आएगी ही आएगी। अब उसको हम आधा घंटा लैक्चर सुनाएं। देखो, हमने तो पहले ही कहा था 2013 में अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। दिसम्बर, 2013 में यहां का पूरा इलाका डूबा गया था। कितना भूकंप आता है, अरे डूब जाएगा भईया, बचा लो इसे। उसको अभी ज्ञान नहीं चाहिए। उसको पहले तो बचाना पड़ेगा। फिर जब बाहर आ जाए तब समझाना पड़ेगा कि अगली बार जब घर बनाए तो ठीक से बनाना ऐसी जगह मत बनाना जहां बाढ़ से डूब जाए।

अध्यक्ष महोदय हमें देखना होगा 'No Detention Policy' उसका मैं बहुत बड़ा पैरोकार हूं। सरकार की तरफ से भी में कह सकता हूं कि धीरे-धीरे हम उस व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहां 'No Detention Policy' जैसे re-

forms शिक्षा व्यवस्था में लागू हों और ऐसी तमाम तकनीकी चीजें जो दुनिया भर में अच्छे प्रयोग के रूप में देखी जा रही हैं, हम भी ठीक से लागू करें। ऐसे कॉपी पेस्ट ना करें, पैट्रोल की कार को जबरदस्ती बिना टैक्नोलॉजी में बदलाव करे। सीएनजी में चलाने की कोशिश ना करें। यहीं हुआ, जब हम परीक्षा लेते हैं, हमने कहीं से समझ कर तय कर दिया कि साहब, परीक्षा प्रणाली खत्म कर दी जाए या किसी को फेल नहीं करेंगे। अब मकसद तो वो पास होने के लिए तो नहीं आया था। वो बच्चा जब आया था तो सीखने आया था, आपने सीखने का कोई उपक्रम नहीं किया, कहीं लिखा था किसी देश में आपने कॉपी पेस्ट मार दिया। बदलते उसको। ये भी सुनिश्चित करते कि वो टैक्नोलोजी तो बदले, उस पर तो कोई काम नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय मैंने तो शिक्षा मंत्री बनने के बाद मेरे साथी यहां बैठे हैं, शिक्षा विभाग के मैंने तो खूब उनसे चर्चाएं की उसमें कहीं कोई बीएड के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव हुआ कि वो 'No Detention Policy' को क्लास रूम में ला के बच्चों के साथ उस अनुभव के साथ उस expertise के साथ संवाद कर सकें कि किसी को पास और फेल करने की जरूरत ना पड़े, हमारे शिक्षकों की वो training करनी पड़ेगी, सर। हमारी textbooks वही चली आ रही हैं। बीएड के पाठयक्रम वही चले आ रहे हैं, हमारे examination system वही चले आ रहे हैं और हम कहेंगे कि नहीं जी 'No Detention Policy' लगा दी कि सबको पास कर दो, ना टीचर बदलें, ना किताबें बदली, ना examination system बदला, ना कंटेंट बदला। बस एक policy बदली, उसी का नुकसान ये हुआ जो भावना जी ने कहा, नुकसान सबसे ज्यादा नवीं कक्षा के अध्यापकों को, विद्यार्थियों को उन लोगों को जिनको नौवीं कक्षा हैंडल करनी पड़ती है या जो वहां पर पढ़ रहे हैं उनके पेरैंटस को उठाना पड़ रहा

है। मैं कहता हूं कि नवीं कक्षा में ही क्यों? 'No Detention Policy' एक साल में ही ऐसा क्या हो गया जिस बच्चे पर हमें लगता है कि आठवीं तक उसको फेल नहीं करेंगे, एक साल में ही उसमें क्या डीएनए चेंज हो गया कि नहीं, नवीं में फेल कर देंगे, दसवीं में फेल कर देंगे आठवीं में नहीं करेंगे, आठवीं तक वो बच्चा है नौवीं में ऐसा हो जाएगा, उसको फेल कर देना चाहिए, दसवीं में जा के उसको फेल कर देंगे ये भी मुझे लगता है सोच का अधूरापन है, परिपक्वता के साथ सोचना पड़ेगा ये कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा और जैसे भावना जी ने कहा कि माननीय केन्द्रीय मंत्री जी को इस बारे में लिखा है, जो शिक्षा का कार्यभार देखती हैं, स्मृति ईरानी जी, जो शिक्षा मंत्रालय देखती हैं, अभी सरकारी कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई थी, तब मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप में उनसे इसका जिक्र भी किया था। मैंने उनको ये कहा कि मैं 'No Detention Policy' चाहता हूं। उसे हम लागू करें लेकिन उसको तैयारी के साथ लागू करें, बिना तैयारी लागू कर दिया तो ढांचा चरमरा जायेगा और वे ढांचा बहुत बुरी तरह से चरमरा गया है। हम एमएलएज के साथ बात करते रहते हैं। कई विधायक मुझे बताते रहते है कि रोजाना सुबह पहले प्राईवेट स्कूल में एडमिशन की सिफारिश वाले आते हैं। एजूकेशन का तो अध्यक्ष महोदय, एक चेन है। अब धीरे-धीरे हमें भी पता चल जाएगा कलेन्डर कि आज सुबह इस दो महीने में लोग हमारे पास किस तरह की मांग लेकर आएंगे। अगले दो महीने में किस तरह की मांग लेकर के आएंगे। तो पहले प्राइवेट स्कूल वाले आते हैं कि जी एडमिशन करा दो, कुछ सिफारिश कर दो। ज्यादा एडमिशन फीस मांग रहे हैं, डोनेशन मांग रहे हैं। वो दौर अभी खत्म हुआ क्योंकि वहां खत्म हो गया एडमिशन का। अब नौवीं कक्षा के फेल वाले आ गये। अब एक आध महीने ये चलेगा। पिछले साल भी चला था। हां, 11वीं के आए थे। कहने का मतलब

ये है कि हम सारी व्यवस्थायें ठीक करें, पूरे तौर पर ठीक करें। पंकज भाई ने अच्छी बात रखी कि सीखने की जिम्मेदारी बच्चे की है मगर वो सिर्फ बच्चे पर नहीं डाली जा सकती। बच्चा तो पूरी तत्परता के साथ आया हुआ है। हमारे सीखने के पाठ्यक्रम में कमी है, हमारे शिक्षकों की ट्रेनिंग में कमी हैं, हमारी व्यवस्था में कमी है। वो जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं डाली जा सकती। हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि उस पर डाली जाये, मगर उसको डालने से पहले जरा शिक्षकों की तैयारी, पाठ्यक्रम की तैयारी और अभिभावकों की तैयारी, ये सब भी तो करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम पूरे गम्भीर हैं कि इसको एक दिन तैयार करेंगे और मैं ऐसा मानता हूं कि अगले चार-पांच साल में दिल्ली में हम ऐसा माहौल बना देंगे कि फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सदन में बहुत गम्भीर मुद्दे पर बड़ी शान्ति के साथ चर्चा की और ऐसी चर्चा हम बार-बार करते रहेंगे और एक दूसरे से जहां से जो साथ हमने सीखा है, समझा है, उसको सदन के सामने रख के सरकार के समक्ष, समाज के समक्ष मीडिया के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

विधेयकों का पारण

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। कल सदन में विधेयक प्रस्तुत किये गये थे। उन विधेयकों पर विचार और पारित करना है। कपिल जी को जरा किसी मीटिंग में आवश्यक रूप से जाना है।

अब कपिल मिश्रा जी, विधि एवं न्याय मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि 23 जून, 2015 को सदन में पुर:स्थापित दिल्ली विधान सभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) संशोधन विधेयक 2015, 2015 का विधेयक संख्या 6 पर विचार किया जाये। श्री कपिल मिश्रा जी।

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री कपिल मिश्रा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली विधान सभा सदस्य अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक, 2015 पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर

जो पक्ष में है, वो हां कहें
जो पक्ष में नहीं हैं, वो ना कहें।
सदस्यों के हां कहने पर
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
प्रस्ताव पास हुआ।

अब विधि एवं न्याय मंत्री विधेयक के सम्बन्ध में सक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

विधि एवं न्याय मंत्री : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा 1 के खण्ड क में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य चुने जाने या बने रहने के अयोग्य होगा यदि उसके पास भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कोई लाभ का पद है। इसमें ऐसे पद शामिल नहीं हैं जिन्हें संसद या किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली या अन्य किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में विधि द्वारा ऐसा पद न होना घोषित किया है जिसमें इसका पदधारक अयोग्य नहीं माना जायेगा। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 15 के प्रावधान में कमोबेश ऐसे ही प्रावधान किये गये हैं जो क्रमशः संसद के दोनों सदनों या राज्य विधान सभा के किसी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के विषय में संविधान के अनुच्छेद 102 तथा 191 में हैं। दिल्ली विधान सभा में 1997 में दिल्ली विधान सभा सदस्य निरहर्ताओं को हटाना अधिनियम 1997, 1997 का दिल्ली अधिनियम 'ख' नायक कानून बनाया ताकि कुछ पदों को रखने पर

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा का सदस्य चुने जाने या बने रहने की निरहर्ता से छूट दी जा सके। उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 7 पर उल्लिखित मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव पद के अलावा मंत्री के संसदीय सचिव का पद भी शामिल किया जाएगा। अतः दिल्ली विधान सभा सदस्य निरहर्ताओं को हटाना अधिनियम 1997 में संशोधित करना आवश्यक समझा गया है ताकि मुख्यमंत्री तथा मंत्री के संसदीय सचिव के पद निरहर्ता नहीं होंगे तथा माना जाएगा कि ये पद राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने रहने या चुने जाने की निरहर्ता नहीं रहेंगे तथा न कभी निरहर्ता माने जाएंगे। तदनुसार इस तात्पर्य को पूरा करने हेतु उक्त अधिनियम की अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक का लक्ष्य इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हैं।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं और कई सदस्य भाग लेना चाहते हैं।

अब विधेयक पर खण्ड वार विचार होगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो जिसमें अनुसूची का संशोधन है विधेयक का अंग बने,

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहे

जो इसके विरोध में है वह ना कहे

हां पक्ष जीता हां, पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड दो जिसमें अनूसूची का संशोधन है विधेयक का अंग बन गया। अब प्रश्न है कि खण्ड एक प्रस्ताव एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में है वह हां कहे
जो इसके विरोध में है वह ना कहे
हां पक्ष जीता हां, पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अत: खण्ड एक प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बन गये। अब विधि एवं न्याय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली विधानसभा सदस्य अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक, 2015 का विधेयक संख्या 6 को पारित किया जाए।

विधि एवं न्याय मंत्री : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली विधान सभा सदस्य अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक 2015 (विधेयक सं. 6) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में है वह हां कहे
जो इसके विरोध में है वह ना कहे
हां पक्ष जीता हां, पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

विधेयक पास हुआ।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी प्रस्ताव करेंगे कि 23 जून, 2015 को सदन में पुर:स्थापित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन

विधेयक 2015, 2015 का विधेयक संख्या 4 पर विचार किया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से सदन से अनुरोध करता हूं कि 23 जून, 2015 में पुर:स्थापित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2015, 2015 का विधेयक संख्या 4 पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहे

जो इसके विरोध में है वह ना कहे

हां पक्ष जीता हां, पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब उप मुख्यमंत्री विधेयक के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया : अध्यक्ष महोदय में इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय कल अपने वक्तव्य में अपनी बात रख चुका हूं। बस इतना ही सदन से अनुरोध है कि यह विधेयक दिल्ली में झुग्गियों की स्थिति सुधारने में दिल्ली सरकार के कदम को मजबूत करेगा और दिल्ली की झुग्गी दिल्ली में जो झुग्गीवासी है, उसकी जिन्दगी बदलने में काफी मददगार साबित होगा। इसलिए सदन से अनुरोध है कि इसको पारित करने पर अपनी राय दें।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं।

अब विधेयक पर खण्ड वार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड दो जिसमें धारा 2 जी का संशोधन है विधेयक का अंग बने यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहे

जो इसके विरोध में है वह ना कहे

हां पक्ष जीता हां, पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड दो जिसमें धारा 2 जी का संशोधन है विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड का प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहे

जो इसके विरोध में है वह ना कहे

हां पक्ष जीता हां, पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड एक प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

अब उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2015, 2015 का विधेयक संख्या 4 पारित किया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहे

जो इसके विरोध में है वह ना कहे

हां पक्ष जीता हां, पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

विधेयक पास हुआ।

तीसरा विधेयक आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी प्रस्ताव करेंगे कि 23 जून, 2015 को सदन में पुर:स्थापित दिल्ली नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय 2015, 2015 का विधेयक संख्या 5 पर विचार किया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करता हूं सदन के सामने प्रस्ताव रखता हूं दिनांक 23 जून, 2015 को सदन में पुर:स्थापित दिल्ली नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय 2015, 2015 का विधेयक संख्या 5 पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहे

जो इसके विरोध में है वह ना कहे

हां पक्ष जीता हां, पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

अब उप मुख्यमंत्री विधेयक के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय ये विधेयक

जैसा कि मैंने कल भी कहा था दिल्ली में उच्च शिक्षा और विशेषकर तकनीकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा में भी research oriented जो हायर एजूकेशन टेक्नीकल एजूकेशन है उसमें बहुत नींव का पत्थर साबित होगा। दिल्ली में इस विधेयक के बाद जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, उसके माध्यम से हम दिल्ली में उच्च शिक्षा को ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब होंगे। ऐसा मेरा पूरा भरोसा है मेरा सदन के सभी साथियों से निवेदन है कि इस विधेयक को पारित करें।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं।

विधेयक पर खण्ड वार विचार होगा। प्रश्न है कि खण्ड दो से खण्ड 57 तक विधेयक के अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहे

जो इसके विरोध में है वह ना कहे

हां पक्ष जीता हां, पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड दो से खण्ड 57 तक विधेयक के अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड एक प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहे

जो इसके विरोध में है वह ना कहे

हां पक्ष जीता हां, पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

खण्ड एक प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

अब उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक 2015, 2015 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्मय से सदन से निवेदन करता हूं प्रस्ताव रखता हूं, कि दिल्ली नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक 2015, 2015 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहे

जो इसके विरोध में है वह ना कहे

हां पक्ष जीता हां, पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

विधेयक पास हुआ।

मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सदन की आज की कार्यवाही पूर्ण हुई। कल दो बजे तक के लिए सदन स्थगित। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 25 जून, 2015
अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई)